The Immigration and Foreigners Bill,2025-passed

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर ? 18, माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : महोदय, मैं प्रस्ताव **करता हूँ:

?कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीजा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीजा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप्रवासन और विदेशियों से संबंधित जो यह विधेयक है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपने आपसे कई बार यह सवाल पूछता हूं कि हमने स्वतंत्रता की लड़ाई क्यों लड़ी, क्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लिए लड़ी थी? वह लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी, क्योंकि हम एक ऐसे समाज और ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे, जो कुछ मूल्यों के ऊपर और कुछ उसूलों के ऊपर आधारित है। हमने भारत के संविधान की संरचना क्यों की, भारत के संविधान की संरचना इसलिए की कि उसमें अपने नागरिकों और बाकी लोगों को कुछ ऐसे मौलिक अधिकार दिए जाएं, जो एक डिग्निटी से जिंदगी जीने के लिए अति आवश्यक हैं।

अगर आप संविधान को अपने संज्ञान में लें तो संविधान के जो अनुच्छेद 14, 19 और 21 हैं, इनको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। It is called the golden triangle of the rights. जब भी कोई विधेयक इस सदन में आता है तो सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वह विधेयक उनके

अनुरूप है या नहीं? क्योंकि यह जिम्मेदारी सिर्फ न्यायपालिका की ही नहीं है। यह जिम्मेदारी सरकार की भी है। हमारे संविधान की संरचना हमारे पूर्वजों ने संविधान सदन में की थी। मैं इस बात से बिलकुल इत्तेफाक रखता हूं कि विदेशियों के आगमन को नियंत्रित करना, घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ-साथ संविधान में जो नागरिक अधिकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा है और उससे जुड़ी हुई दंड पालिका है, उसमें एक नियंत्रण और संयम बहुत जरूरी है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के बहुत ही वरिष्ठ ज्यूरिस्ट एच.एम. सीरवाई ने एक बार कहा था कि अगर संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को निकाल दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा? उन्होंने जवाब दिया कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उनसे पूछा गया कि अगर मौलिक अधिकारों को संविधान से निकाल दिया जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा? उन्होंने जवाब दिया कि इससे संविधान की अंतरात्मा मर जाएगी। It will absolutely destroy the soul of the Constitution. यह जो विधेयक है, अगर आप इसको अपने संज्ञान में लें तो जो क्लॉज़ 3 है, उसका जो पहला प्रोवाइज़ो है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं-

> ?Provided that notwithstanding anything contained in this sub-section, no foreigner shall be allowed to enter into or stay in India, if he is found inadmissible to do so on account of threat to national security, sovereignty and integrity of India, relations with a foreign State or public health or on such other grounds as the Central Government may specify in this behalf:?

जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, जहां तक भारत की सम्प्रभुता का सवाल है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, जो ओमनीबस पावर सरकार को दी जा रही है और जिस तरह का लचीलापन इस विधेयक में शामिल किया जा रहा है, इससे इस कानून के दुरुपयोग होने की पॉसिबिलिटी निकलकर आती है।

महोदय, मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो सरकार के जो राजनैतिक ख्यालात हैं, जो उनकी विचारधारा है, मैं जब सरकार की बात करता हूं तो मैं एक सरकार की बात नहीं करता हूं क्योंकि भारत में जब कानून बनते हैं तो वे सौ-सौ वर्ष के लिए बनते हैं। अगर सरकार की जो राजनैतिक विचारधारा है या सरकार का जो आइडियोलॉजिकल डिसपोजिशन है, अगर उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता है तो क्या इस कानून का दुरुपयोग उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए नहीं हो सकता है? यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अतीत में यह होता रहा है। मैं इसको किसी तू-तू, मैं-मैं में बदलना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो एक-दो वाकये ऐसे हुए, जिसमें लोगों को भारत में आने से रोका गया और उसके बाद उन्हीं लोगों को बुलाकर प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मान दिया गया। यह एक बड़ा ही विरोधाभास है।

महोदय, इसका जो सेकेंड प्रोवाइज़ो है, आप उसको पढ़िए-

?Provided further that the decision of the Immigration Officer in this regard shall be final and binding.?

अध्यक्ष जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यहां यह मतलब है कि न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील, जो आप्रवासन अधिकारी ने तय कर दिया, वही सर्वमान्य है।

माननीय अध्यक्ष : आपका तो घाटा हो जाएगा!

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, मेरा घाटा नहीं होगा। मैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहा हूं। मैं आगे बताऊंगा कि मैंने इन मामलों में किसलिए बहस की है। मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून में सेफगार्ड्स बनाने की जरूरत है। अब आप अगर बाकी मुल्कों का संज्ञान में लें, तो अमेरिका में इमीग्रेशन जजेस हैं, कनाडा में इमीग्रेशन और रिफ्यूजी बोर्ड है। अपील का एक जरिया दिया गया है। यहां पर इस कानून में अपील का कोई जरिया नहीं है, केवल आर्टिकल 226 में आप या तो उच्च न्यायालय जा सकते हैं या फिर यदि आपके अधिकारों का हनन हुआ है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। अत: मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि इस कानून में इमीग्रेशन जजेस का जो सेफगार्ड है, उसे क्रियान्वित करने की जरूरत है, नहीं तो यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 14 के अनुकूल नहीं है। Article 14 of the Constitution says:

?The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.?

अध्यक्ष जी, ?any person? नागरिक की बात नहीं करता, हर व्यक्ति की बात करता है। इसमें विदेशी भी शामिल होते हैं। अत: मेरा आग्रह है कि इस कानून में ऐसा प्रावधान करने की जरूरत है, जिससे एक अपील प्रॉसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया जाए। अब हम इसी कानून के क्लॉज-3, सब-क्लॉज-4 पर आते हैं। इसके तहत जो अप्रवासन अधिकारी है, उसे यह अख्तियार है कि वह डैमेज्ड पासपोर्ट को सीज़ कर ले। इस चीज का कहीं पर भी विवरण नहीं है कि डैमेज्ड पासपोर्ट क्या है? सरकार की तरफ से यह दलील आई कि जब इस कानून के रूल्स बनेंगे, उसमें हम सुनिश्चित कर देंगे कि डैमेज्ड पासपोर्ट की क्या डेफेनिशन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप इतने व्यापक अख्तियार किसी अधिकारी को दे रहे हैं, तो आप इन चीजों को बिल में डिफाइन क्यों नहीं करते? जो डेफिनिशन क्लॉजेज हैं, उसमें आप डिफाइन क्यों नहीं करते कि डैमेज्ड पासपोर्ट का क्या मतलब है, because this gives a whole lot of arbitrariness and a tremendous amount of latitude to any immigration officer to harass anybody saying that your passport is damaged and seize it. इसलिए डैमेज्ड पासपोर्ट की व्याख्या क्या है, इसे डिफाइन करने की जरूरत है। अब क्लॉज 14 पर आते हैं। क्लॉज 14 के तहत

सरकार को ये अख्तियार दिए जा रहे हैं कि किसी भी विदेशी को, किसी भी जगह पर जाने से वह रोक सके। मतलब इसके तहत किसी रेस्टोरेंट या होटल के मालिक को यह आदेश दिया जा सकता है कि आप विदेशियों को अपने होटल और रेस्टोरेंट में घुसने नहीं देंगे। इससे भी अधिक चिंता वाली बात यह है कि आप एक ?a class of foreigners? को नहीं घुसने देंगे। यानी विदेशियों का एक ऐसा वर्ग है, जिनको आप वहां घुसने नहीं देंगे। अत: यह जो प्रवधान है, यह आर्टिकल 19(1)(g) जो भारत के संविधान में है, वह मुझे यह अख्तियार देता है ?that I can carry on? भारत में कहीं पर भी मैं अपना व्यवसाय कर सकता हूं। यह उसके विरुद्ध है और आर्टिकल 14 के भी विरूद्ध है। अब इससे आगे आते हैं। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगा दिया जाए कि वह विदेशी है, तो सरकार को साबित नहीं करना है कि वह विदेशी है। आरोप लगाने वाले को साबित नहीं करना कि वह विदेशी है। उसको साबित करना पड़ेगा कि वह विदेशी नहीं है। फौजदारी कानून में जो ज्यूरिस प्रूडेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, that you are innocent until proven guilty.

ये पूरी तरह से उसको अपने सिर पर खड़ा करने वाली बात है। खासकर जो गरीब लोग हैं, जिनके पास शायद पूरे कागजात नहीं होते हैं, उन लोगों को अगर यह प्रमाणित करना पड़े, चूँकि अगर कोई व्यक्ति यह आरोप लगा दे कि वे भारत के नागरिक नहीं है तो उनका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वह बहुत बढ़ जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम कोई इमिग्रेशन नियंत्रण के खिलाफ नहीं है, हम घुसपैठियों को रोकने के खिलाफ नहीं है, लेकिन विधेयक में जो एक संतुलन होना चाहिए, वह संतुलन इस विधेयक में नहीं दिख रहा है।

अब आप क्लॉज 21 को ले लीजिए। क्लॉज 21 यह कहता है कि अगर आप एक विदेशी हैं या तथाकथित विदेशी हैं तो आपको दो से सात साल तक की सजा होगी। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप इस धारा 21 को धारा 16 के साथ पढ़ेंगे तो यह अतिसंवेदनशील हो जाती है, क्योंकि आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं। उसको कहेंगे कि इसको प्रमाणित कीजिए। अगर कोई व्यक्ति उस चीज को प्रमाणित नहीं कर सकता और अगर वह भारत का नागरिक है तो फिर वह बहुत बड़ा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा। इसलिए इसमें सेफ गार्ड्स बिल्ड करने की जरूरत है।

अब आप क्लॉज 26 पर आ जाइए। ये कह रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर शक है तो एक हेड कॉन्स्टेबल भी जाकर शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकता है और सीआरपीसी, जिसको गृह मंत्री जी ने संशोधित किया था, उसकी जो धारा है, वह उसके ऊपर क्रियान्वित होगी। अब मैं अपने आप से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह

अख्तियार एक हेड कॉन्स्टेबल को दिए जाने चाहिए? ये अख्तियार कम से कम एक इंस्पेक्टर लेवल के अफसर को दिए जाने चाहिए, जिससे इसका जो क्रियान्वयन है, वह जिम्मेवारी से हो।

अब आप क्लॉज 29 पर आ जाइए कि अगर आपने कोई वीजा कंडीशन की वायलेशन कर दी तो आपको उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि यह उच्चतम न्यायालय का जो कानून है, उसके विरुद्ध है। हसन अली रेहानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 का एक केस है, उसमें मैं खुद पेश हुआ था। उसमें सर्बानंद सोनोवाल का जो केस है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन्स ली कि किस तरह से किसी व्यक्ति को डिपोर्ट किया जाना चाहिए, उसका ड्यू प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसमें उसका विवरण दिया गया है और यह जो धारा है, यह इंटरनेशनल कॉवनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की धारा 13 के विरुद्ध है, आपके जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन-रिफाउलमेंट्स हैं, उनके विरुद्ध हैं।

अध्यक्ष जी, आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो क्लॉज 33 है, इसकी भी सलेक्टेड एप्लीकेशन है कि आप यह कहते हैं कि यह कानून कुछ विदेशियों पर तो लागू होगा, लेकिन सरकार अगर चाहेगी तो कुछ विदेशियों पर लागू नहीं होगा। ये किस तरीके की आर्बिटरी अनब्राइडल्ड पावर सरकार अपने आप को दे रही है कि एक कानून है और अगर वह कानून बनाया गया है, यह संसद पारित करेगी तो वह सबके ऊपर लागू होना चाहिए। ये ऐसे कौन से एक्सेप्शन्स और कार्व आउट्स हैं कि एक किस्म के विदेशियों पर लागू होगा, लेकिन अगर सरकार नहीं चाहेगी तो दूसरे किस्म के विदेशियों पर लागू नहीं होगा।

गौरव गोगोई जी मुझे अंगुली दिखा रहे थे कि मेरे पास बोलने के लिए दो मिनट रह गए हैं, नहीं तो मैं इस विधेयक में इस तरह की बहुत सी जो खामियां हैं, उनको सदन के समक्ष रख सकता हूँ।

मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम न तो विदेशियों को नियंत्रित करने के खिलाफ हैं, न घुसपैठियों को रोका जाए, उसके खिलाफ है, लेकिन संतुलन जरूरी है इसलिए इस कानून को एक संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया जाना चाहिए, जिससे इसका क्लॉज बाय क्लॉज ठीक तरह से निरीक्षण हो जाए और जब यह सदन में वापस आए तो एक ऐसा सुदृढ कानून, जो इस संतुलन को बनाए, वह कानून यह सदन पारित करे।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मनीश जी, मैंने आपको नहीं रोका है, आपके नेता ने रोका है। आपने उनका नाम भी लिया है।

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Sir, I consider it my privilege to talk on the Immigration and Foreigners Bill, 2025, a Bill of immense significance, which has been brought to the Lok Sabha by the Ministry of Home Affairs. To draft this Bill is the need of the hour and I commend the efforts of the Home Ministry for this remarkable endeavour. They have done a meticulous job and all of us need to appreciate that.

My dear friends, we are aware of Taittiriya Upanishad ? ?अतिथि देवो भव:? । तैत्तिरीय उपनिषद का यह वाक्य हमारे देश की परंपरा और हमारे देश की संस्कृति को दर्शाता है । हम अतिथियों को सम्मान देते हैं । हम अतिथियों की पूजा करते हैं और हमारा देश आतिथ्य के लिए जाना जाता है । निश्चित तौर पर मैं बहुत विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूंगी कि एक तरफ हम अपने प्राचीन परंपरा को लेकर गर्वित हैं और अतिथियों का सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपनी सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा भी करनी पड़ती है और करनी चाहिए । हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि केवल वे लोग वैध तरीके से हमारे देश में आएं, जिनके आगमन से, रहने से, हमारे देश के संसाधन और हमारे देश की सुरक्षा पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े ।

I was listening to my esteemed colleague, Manish Tiwari ji. First, he was actually questioning the need for this particular Bill. Second, he talked about the need for balancing. Now, what is the need for drafting this Bill? My dear friends, I will take you to 1970, to a particular Supreme Court case. I have gone through that case ? R. Monteiro vs. State of Goa, 1970. The hon. Supreme Court gave a very clear-cut judgment. With your permission, Speaker Sir, I would like to read out:

> ?It cannot be doubted that the reception and residence of an alien is a matter of discretion, and every state has, by reason of its own territorial supremacy, not only the legal right but also the competence to exclude the aliens from the whole or any part of its territories. A state can make laws for the entry, residence, and eviction regulating aliens.?

I was quite interested to know how many illegal immigrants are there in the country. I went to read one of the replies given by the then Minister of State for Home Affairs, Shri Kiran

Rijiju ji, long back in 2016. He gave a reply to an hon. Member of Parliament: ?At that point in time, there were two crore Bangladeshi immigrants.? This is completely on record. I was also going through some of the arrests that have been made, some of the nabbing that has been done by the Railway Protection Force and our security forces. I mean, these are authentic data that you can cross-check. Between January, 2024 and January, 2025, 2,601 Bangladeshi immigrants coming through the Indo-Bangladesh border ? I am just giving you some examples and some figures ? were nabbed by the Railway Protection Force. They have a major role to play in this regard. In 2021, they arrested 586 Bangladeshi nationals and 318 Rohingyas who were trying to get into India through the Indo-Bangladesh border. We are concerned about this and that is why this Bill. We are concerned about the whole thing and that is why we have gone by the Supreme Court judgment of 1970. The Ministry of Home Affairs, Government of India is well within its right to draft this particular Bill.

Friends, why this Bill? I am coming to that question again. Why this bill? I think all my friends to my right should know that this Bill was the need of the hour. I am giving you clear cut reasons as to why we needed this Bill.

The matters concerning foreigners and immigration are actually looked into or rather administered by four laws at this point of time - the Foreigners Act, 1946; the Immigration Act, 2000; the Passport Entry to India Act, 1920; and the Registration of Foreigners Act, 1939. I talked to you about all the years. My dear friends, most of them are pre-Constitution laws. Secondly, if you go to the Statement of Objects and Reasons of this particular Bill, which I will make a humble appeal to each one of you to go through, the reasons have been given very candidly, very clearly, very cogently. I will implore you to read that. There are four Acts as I said, pre-Constitution Acts, but at the same time I must say that there are many overlapping provisions and they were drafted during extraordinary times during the first and the second World Wars.

I think this is extremely important to have the four Acts revisited and that is why we always needed this particular Bill. The time has come for a comprehensive and unified legislation to consolidate all these laws, to remove the inconsistencies and align them with the modern realities. It is extremely important and that is why here is a robust framework, a simplified framework to actually ensure competence, to actually ensure efficiency in the governance of immigration and foreign nationals and other related matters.

महोदय, इस बिल का उद्देश्य एक सरल, समग्र और स्पष्ट कानून बनाना है जो यह निर्धारित करे कि कौन हमारे देश में प्रवेश कर सकता है, कौन रह सकता है और कौन किस परिस्थिति में देश को छोड़कर जा सकता है? यह बहुत जरूरी है और इस बिल में एक बात बहुत अच्छी लिखी गई है कि जितने भी अस्पताल हैं, शैक्षणिक संस्थान और अन्य संस्थान हैं, रिपोर्ट करेंगे कि उनके पास, उनके क्षेत्र में, उनके संस्थानों में कितने फॉरेन नेशनल्स हैं? कितने विदेशी हैं? यह कदम न केवल दस्तावेजों की जांच में सख्ती दिखाएगा बल्कि जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है, उसे भी सुनिश्चित करेगा। And here is a no-nonsense government. हम अतिथि देवो भव: की बात करते हैं और इसके साथ-साथ जो नियमों का उल्लंघन करेंगे, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

I was also trying to understand while I was reading the Bill, while I was reading all the connected documents pertaining to the Bill, as to how this great idea came to our Ministry of Home Affairs to draft this Bill. My dear friends, I am delighted to inform all my esteemed colleagues here from the right and the left that the Ministry has done a meticulous job, I reiterate, and they drew upon the recommendations of various Parliamentary Standing Committees and the Law Commission. I will bring to your knowledge that the Estimates Committee of Parliament in 1992 actually identified a lot of gaps in the implementation of the laws pertaining to immigration and foreign nationals. They had recommended at that point of time in 1992 many key reforms, and at the same time, they had said that the laws governing immigration should be very stringent.

Number two, I would also like to inform you that there is this Law Commission 175th Report, I reiterate - Law Commission 175th Report, which has very strongly recommended the overhauling of these four laws which I talked of.

Number three, let me come to the report of the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs in 1998, which categorically stated that there was a requirement of in-depth study of the status of effectiveness of all these laws that were in operation, and that were not giving the kind of dividend that all of us in India deserved. We were not getting the results that should have been given to us. Therefore, my dear friends, keeping in view the Supreme Court judgment of 1970, keeping in view the recommendations of the Parliamentary Standing Committee, and the Law Commission 175th Report, and keeping in view the need of the hour, I think we wanted this particular Bill, which has come in a very good shape.

Friends, what are the major components? I will just touch upon six points. I will not take much of your time. `Brevity is the soul of wit?. I will not go beyond a particular point.

I will now touch upon six points. One, it clearly states that no individual shall be allowed to enter India via air, water or land without a valid transport and related travel documents. Is it wrong? Is the Home Ministry wrong if it talks very emphatically about it? Not at all. It is the duty of the Government to ensure that there is an absolutely no nonsense approach when governance and administration of issues are concerned. No foreigner should be allowed to enter into or stay in India if his or her staying in India will be a threat to national security.

The decision of the Immigration Officer will be final and binding. Now there is a question from my esteemed colleague Shri Manish Tiwari. My dear friends, there is absolutely no financial implication of all the suggestions given by the Ministry of Home Affairs. There is a Bureau of Immigration. The Bureau of Immigration is being strengthened. We are trying to bring in more transparency in the administration. We are trying to ensure that it becomes more

effective. So, there is absolutely no recurring or non-recurring expenditure charged to the Consolidated Fund of India. So, this particular thing in the minds of all of us that any Bill coming would necessarily entail some kind of expenditure is far from the truth and we must remember this.

A very important part of the Bill is that the Bill places the onus on an individual to prove his or her legal status in India.

Of course, last but not least, the Bill proposes much needed stricter penalties for violation of laws.

Before I conclude, let me tell you that there are countries which have actually gone ahead and have gone for very stringent laws. The countries are the United States, Hong Kong, Singapore, Australia and the Gulf Cooperation Council countries. When such countries have done it, and they have actually showed to the people that they have a no-nonsense approach and things are improving, I think we also need to get into that.

I must tell you the figure I procured from the Ministry of Home Affairs. From 1st April, 2023 to 31st March, 2024, 98,40,000 foreign nationals have come. But at the same time, when I drilled down, I found 3,93,341 of those actually overstayed the period of permission. So, this is the kind of situation that we are in. ? (*Interruptions*)

Thank you so much, Sir. I will just take 30 seconds. It is extremely important to come forward and wholeheartedly support this Bill. I can only say that we have always room for improvement: good, better, best. Never let it rest till your good is better and your better best. We are trying to move from good to better and better to best.

Thank you very much. Let us all support the Bill.

श्री राजीव राय (घोसी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल में अपने कुछ सुझावों के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई नहीं चाहता है कि हमारे देश के कानून इतने कमजोर हों कि जो चाहे आए, जब चाहे आए और जो मन करें और जब मन करे, तो जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ आवश्यकता से अधिक लोग रह गये, लोग इल्लीगल तरीके से आ गये, यहाँ यहाँ ओवरस्टे कर गये, वीज़ा की प्रॉब्लम हो गई। जिस प्रकार से, श्री मनीश तिवारी जी जिन बातों को बोल रहे थे, मैं भी उन बातों को दोहराऊँगा, तो ज्यादा समय लगेगा।

14.41 hrs (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

सर, एक छोटी-सी बात है कि कोई भी किसी भी देश में जाकर ओवरस्टे या इल्लीगल इमिग्रेशन क्यों करता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि या तो उस देश में खुशहाली की व्यवस्था हो, वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, बेहतर फ्यूचर हो, जॉब्स हों या कोई अपराध करने के लिए आता है। उसका एक ही पैरामीटर है कि पासपोर्ट में आपकी क्या रैंकिंग है, आपके पासपोर्ट की क्या ताकत है। वर्ष 2014 में आप 76वें स्थान पर थे और डंका बजाते-बजाते वर्ष 2024 तक आते-आते आप 85वें स्थान पर आ गये, जो बताता है कि आपकी ताकत क्या है।

इस बिल में कुछ ऐसी बातें हैं, यदि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को देखा जाए, तो यह बैलेंस नहीं रखता है। उदाहरण के लिए, हिन्दुस्तान के लोगों के मन-मस्तिष्क से अभी भी एक तस्वीर नहीं जा रही है, जहाँ हमने देखा कि इल्लीगल इमिग्रेशन के नाम पर हमारे नौज़वानों को हथकड़ियों और बेड़ियों में हमारे देश में वापस भेजा गया और वह भी प्रधानमंत्री जी के आने के बाद। यह सरकार खामोश रही। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, हमारे हजारों लोगों को विदेशों में भेजा गया। अगर डंका बज रहा है, अगर देश की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं, तो डंकी रूट से जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं समानता और आत्म सम्मान के नाम पर एक बात कहना चाहता हूँ। हाल ही में, दिसम्बर, 2024 में, जोशुआ इवान रिचर्डसन देहरादून में सैटेलाइट फोन के साथ पकड़े गये थे। हमारे यहाँ से तो लोग रोजी-रोज़गार की तलाश में गये थे। सैटेलाइट फोन वाला तो जासूस भी हो सकता है। वर्ष 2023 में, एक अमेरिकन सिटिज़न बिहार में पकड़ा गया था, जो नेपाल क्रॉस करना चाहते थे।

माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि एक भी अमेरिकन सिटिज़न पकड़ा जाता है, तो क्या उसे वैसे ही हथकड़ियों और बेड़ियों में वापस अमेरिका भेजेंगे, क्या आप समानता का अधिकार रखेंगे या क्या सारे नियम-कानून केवल हिन्दुस्तान के लिए ही है?

इसमें कुछ ऐसे भी क्लॉज़ेज हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर को कोतवाल बना देता है, उसे कांस्टेबल बना देता है। There is no warrant required for arrest. Authorities can arrest without a warrant any person suspected of entering India without valid documents. It is fine. All of us support it. Nobody should enter India without valid documents. Arrest can be made even on a reasonable suspicion. Reasonable suspicion तो इंडिविजुअल के लिए हो सकता है। आपको लगता होगा कि कोई पत्रकार आकर आपकी आलोचना कर सकता है, कोई आकर आपकी डॉक्युमेंट्री बना सकता है, तो आप उसको भी रोक देंगे। जो आपकी आइडियोलॉजी से सूट न करे, आप उसको भी रोक देंगे।

यहाँ पर कांस्टिट्यूशन की भी बातें होती हैं। Foreigners are barred from associating with a person of specific description. It is a very vague and open term. सर, इसके लिए तो आपको कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप जिसको चाहें, अपने हिसाब से डिसाइड कर दें। आर्टिकल 21 इंटरनैशनल सिटिज़न्स के लिए भी कुछ फंडामेंटल ह्युमन राइट्स देता है। अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो जो भी आपके खिलाफ खड़ा है, वह चाहे बाहर की धरती से बोले, यहाँ से बोल दे, आप उसको रोक देंगे। यह अच्छा हुआ कि आज यह विधेयक लाया गया। इससे पहले, जब भी चुनाव होता है, तो सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों आदि से यही सुनते आए हैं कि इस प्रदेश में इतने बंगलादेशी घुस गये, इतने पाकिस्तानी घुस गये। आज से पहले आपका रोकने का काम नहीं था, गिनने का काम था। कहा जाता था कि झारखण्ड में बंगलादेशी आ गये, उत्तर प्रदेश में बंगलादेशी आ गये, बिहार में बंगलादेशी आ गये और तो और नाक के नीचे दिल्ली में रोहिंग्या और बंगलादेशी आ गए। तो क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी होती है? अगर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

सबसे पहला बड़ा ऑब्जेक्शन बेसिक फंडामेंटल राइट का है। डेमोक्रेसी में यह अच्छा नहीं लगता है कि यदि देश में कोई इमिग्रेशन काउंटर पर आता है, तो वहाँ के अधिकारी के लिए कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, जहाँ वह जा सके। आप किसी को भी रोक सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में तो नियम पहले से ही थे। कोई आता है, वह एडमिशन लेता है, तो उसको कमिश्नरेट या पुलिस स्टेशन में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन यह जो डिस्क्रिमिनेशन है कि यदि अफ्रीका से कोई आए, तो आप उसको एयरपोर्ट पर रोक लें।

सर, हम तो सभी देशों से एकतरफा मोहब्बत करते हैं। हम अपने आप ही किसी को भी अपना लंगोटिया यार बता देते हैं, भले ही वहां जाकर वह हमारे बगल में खड़ा होकर बोल दे कि टैक्स रोग स्टेट है, इंडिया टैक्स-अब्यूज़र है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो हाथ पकड़ लिया था, हम तो वहां खामोश थे।

मैं यह चाहता हूं कि इस बिल में जितनी भी डिस्पैरिटीज़ हैं ? (व्यवधान) सर, इतनी जल्दी मत कीजिए।

While national security must be safeguarded, the principle of proportionality must guide any restrictions on personal liberty. ये सब सजेशन्स हैं। एक इंडिपेंडेंट एपिलेट अथॉरिटी होनी चाहिए, जहां अगर किसी को डिनाई किया गया, तो उसको वहां जाने का अधिकार होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। राजनीति के लिए, खासतौर से चुनावी राजनीति के लिए घुसपैठियों के नंबर्स न गिनाए जाएं, उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।

मैं इन सुझावों के आधार पर चाहूंगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, कि इस बिल पर पुन: विचार करके इसको कमेटी के पास भेजा जाए। वहां इसकी स्क्रूटनी हो और जब सारे सजेशन्स को शामिल करके यह बिल वापस आएगा, तब ये बिल देश के हित में होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा।

धन्यवाद।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Immigration and Foreigners Bill, 2025.

चेयरमैन सर, इस बिल का 11 मार्च, 2025 को इंट्रोडक्शन किया गया था। उस समय मैंने इंट्रोडक्शन का विरोध किया था। श्री मनीश तिवारी जी ने भी इंट्रोडक्शन का विरोध किया था। उसके कुछ दिन बाद यह बिल हमारे सामने आया है।

मेन चीज क्या है? वह यह है कि हमारे देश में जो लोग आते हैं, उन पर हमें कंट्रोल रखना है। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में बाद में बोलूंगा। भारत में यह बिल चारों पुराने बिल्स को लेकर बना है -- The Passport (Entry into India) Act, 1920, which was during the colonial times; The Registration of Foreigners Act, 1939, again, which was during the colonial times; The Foreigners Act, 1946; and The Immigration (Carriers Liability) Act, 2000.

सर, होम मिनिस्ट्री के हिसाब के अनुसार, a total of 98,40,321 (98 lakh) foreigners visited India between April 1, 2023 and March 31, 2024.

सर, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे देश में ज्यादा टूरिस्ट्स आएं। उनके आने से हमारा फॉरेन एक्सचेंज अच्छा होगा। हम यह भी चाहते हैं कि कोई अनडिज़ायरेबल एलिमेंट हिन्दुस्तान में नहीं घुसे। The main thing is to have a balance, संतुलन होना चाहिए। हम जिन लोगों को लाते हैं, हम पूरी दुनिया में एड्वर्टाइज़ करते हैं कि भारत में आओ, ताज महल देखो, लाल किला देखो। ? (व्यवधान) राम मंदिर भी देखने आएंगे, लेकिन उसका मुझे पता नहीं है। ? (व्यवधान) वहां तो केवल हिंदू लोग जा सकते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं। ? (व्यवधान) अत:, सर, ये सब हो सकता है। ? (व्यवधान) लेकिन, हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा लोग बांग्लादेश से आए हैं। युनाइटेड स्टेट्स से 17 लाख लोग आए थे, यूके से 9,86,000 लोग आए थे। The number of foreigners who came on student visa during 2021, 2022, and 2023 was 22,159; 31,910; and 40,431 respectively. It is not a large number.

इमिग्रेशन के बारे में एक सिंपल लॉ है। हम फिजिक्स में बोलते हैं कि water flows from a level of higher pressure to lower pressure. इमिग्रेशन का मतलब यह है human beings flow from a poorer country to a richer country. जो रोहिंग्या है, वह म्यान्मार से बांग्लादेश आयेगा और बांग्लादेश से कुछ लोग हिन्दुस्तान में आएंगे। हिन्दुस्तान के लोग अमेरिका जाएंगे। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठिए हमारे यहाँ न आयें, लेकिन हम क्लियर नहीं हैं कि अमेरिका में जो लोग डंकी करके जाते हैं, आप शाहरुख खान की डंकी फिल्म देखेंगे तो आपको सब साफ हो जायेगा कि कितना कष्ट झेलकर लोग जाते हैं। वे क्यों जाते हैं? वे इसलिए जाते कि वहाँ अच्छी जिन्दगी मिलेगी, वहाँ अच्छी इनकम मिलेगी। अमेरिका ने इन्सल्टिंग-वे में हमारे लोगों के हाथ, पैर में बेड़ी लगाकर यहाँ भेजा। हम कुछ नहीं बोल पाये। अमेरिकन एयरफोर्स के प्लेन ने उन्हें चंडीगढ़ में ड्रॉप कर दिया, बिट्टू साहब को पता होगा। यह हमारी बड़ी इन्सल्ट थी। हम अभी भी अपने लोगों को समझा नहीं पाये कि आप ऐसे मत जाओ। बाहर जाकर इन्सल्टिड होंगे, मार खाएंगे, अमेरिकन पुलिस के हाथ में पकड़े जाओगे। यह दु:खद बात है। मोदी जी की सरकार उनको यहाँ रख नहीं पाएगी। अभी मुझे यह कहना है कि इस बिल में क्या है, इस बिल में चार कानूनों को इकट्ठा करके लाए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आएंगे, उन पर भी रिस्ट्रिक्शन है। जैसे हम फ्रांस से जाएंगे, मैं गया था, वह बोला it is visa on arrival. If you have diplomatic passport, no visa is required. हमारे यहाँ भी जापान, साउथ कोरिया और यूएई से जो आएंगे, उनको कोई वीजा नहीं लगेगा। हमारे यहाँ कुछ एरियाज हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड हैं। अंडमान, नॉर्थ-ईस्ट, parts of Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Rajasthan, यहाँ पर फोरेनर्स को स्पेशल परमिट लगता है। हम भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हम उन्हें बुलाते हैं कि आओ-आओ भाई और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि यहाँ तुम नहीं जा सकते हो। इस पर मनीश तिवारी जी ने

जो बोला है कि इसमें संतुलन होना चाहिए। मेरे ख्याल में अमित शाह जी की पर्सनैलिटी भी ऐसी है, थोड़े कड़े हैं,?

*उन्होंने बड़ा स्टिफ कानून बनाया है। मैं चाहता हूँ कि इस बिल को एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, जैसा मनीश तिवारी जी ने सजेस्ट किया है।? (व्यवधान)

सर, एक मिनट रूकिए, मेरी बात पूरी होने वाली है। आप असम के हैं, हम बंगाल के हैं, हम तो पड़ोसी हैं। अंत में मुझे यही कहना है कि नया कुछ नहीं हुआ है। जो था, वही है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : सर, एक मिनट रूकिए। सर, बार-बार आप बंगाल, असम बोलते हैं।

? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, एक मिनट सुन लीजिए, जरूरी बात है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप भी सुनिए। आप बंगाल, असम बार-बार बोलते हैं, असम और बंगाल की सिचुएशन, अगर कभी समय मिले तो उसका कंपैरिजन कीजिए।

प्रो. सौगत राय : हम पड़ोसी हैं, तो एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। अभी बोलते हैं कि जो आएंगे, उनको पासपोर्ट और वीजा चाहिए। एक इमिग्रेशन ऑफिसर की पोस्ट होगी।? (व्यवधान) मेरी बात हो गई है। एक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बनेगा, जो पहले नहीं था। जो दो डाउटफुल सब्जेक्ट्स हैं, एक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज, इन लोगों के लिए अनिवार्य है कि अगर फॉरेन से कोई आया है तो वे सरकार को बताएंगे।

महोदय, यह अच्छा है क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत फॉरेनर्स आते हैं।

माननीय सभापति : आप बैठ जाएं।

प्रो. सौगत राय : महोदय, मेरी बात लगभग समाप्त हो गई है। वे फॉरेनर्स कोलकाता में आते हैं और दो सौ, पांच सौ रुपये देकर फुटबाल खेलते और सीखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वे कहां पहुंच जाते हैं। इस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए लेकिन यह भी तो होना चाहिए कि फॉरेनर्स स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, हमारी यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा हो। हमारे लोग ऑक्सफोर्ड, केम्ब्रीज, केलिफॉर्निया, हार्वर्ड जाते हैं।

माननीय सभापति : आप बैठ जाएं।

प्रो. सौगत राय : जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो बाहर से भी लोग हमारे यहां आएंगे।

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Sir.

Hon. Member, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, the Immigration and Foreigners Bill, 2025 has been introduced with the stated objective of streamlining immigration law, strengthening national security, and consolidating various pre-Independence statutes into a single framework.

However, beyond its promise of efficiency, the Bill raises concerns about excessive governmental control, erosion of fundamental rights, lack of judicial oversight, and the potential for arbitrary decision making. This new Bill aims to consolidate provisions from four different Acts which has already been mentioned.

Under the international law, States have a sovereign power to regulate the entry of foreigners. But without safeguards at the entry points to access international protection needs, the Bill could conflict with the principle of non-refoulement. The principle broadly protects individuals from being removed to countries where they face risks of torture, inhuman treatment, and threats to their lives or freedom.

As a core norm of customary international law, non-refoulement is a binding obligation for all States. National security concerns and refugee protection principles are not mutually exclusive. States have legitimate reasons to prevent foreigners who pose security threats from entering their country. But can we shut our doors to people who are fleeing to protect themselves and their children and to protect their lives?

Section 7 clause 2 provides absolute power to the Government to issue orders and directions that prohibit association, restrict movement, and regulate conduct. Does this protect national security or suppress dissent? With a mere order, a foreigner can be forbidden from engaging in activities of specified description. But who defines these activities? If expression,

assembly, and political engagement are deemed undesirable, does this not amount to a calculated erosion of freedom of speech?

A nation that upholds justice does not hand the Government limitless discretion over individual lives. We have already seen how many laws introduced under the guise of national security have been widely criticised for their misuse, often leading to arbitrary detention, prolonged legal battles, and often they become a clamp on dissent.

One of the major concerns regarding the Bill is the provision that denies foreigners the right to be heard before an immigration officer who makes a final decision on their entry, stay, and deportation. The availability of no scope for appeal is against the very concept of natural justice, which is, no person shall be condemned unheard. The International Law Commission, in its work on the expulsion of aliens, has re-affirmed that the exercise of State discretion must not be arbitrary.

States have sovereign powers over immigration. The power is not absolute and is subject to the limits of fundamental rights and due process guarantees.

15.00 hrs

A decision made in secrecy without avenue for appeal and without opportunity to present one's case does not constitute justice. It constitutes a violation of international legal norms.

At the international stage, we are seeing how our citizens are being deported back to India from the U.S. in handcuffs, in chains, without human treatment or dignity. With draconian provisions like this in the new Bill, it will pose further risk to the Indian citizens outside in the diaspora.

India's decline in the Global Passport Index ranking is a matter of serious concern. In 2006, India held the 71st position, reflecting a more favourable global standing. But, now, it has

dropped to the 85th position, making global mobility a challenge for most Indians.

This Bill imposes excessive bureaucratic obligations on educational institutions, universities, hospitals, and even private accommodations, turning them into surveillance agents for the Government.

Sir, we are not even able to protect our fishermen, the Indian fishermen, who are fishing in our seas. We are not able to protect them from arrest, and assault. We are not even able to release them. They have been suffering in Sri Lankan jails for months together, and we are not able to protect them. What is our answer to this?

The Bill does not address the admission and regulation of refugees in India, leading to uncertainties in their treatment. The Bill continues to define a foreigner as a person who is not a citizen of India. In the modern world, with globalization, there are many types of migrants who come into this country for work, economic activity, and tourism. They could be refugee seekers, asylum seekers, and even stateless persons. This Bill does not recognize the complexity of the situation.

Sir, the proposed Bill would significantly affect approximately 90,000 Sri Lankan Tamils who are currently living in India, most of whom have been residing in this country for nearly three decades or more. As of March, 19,949 families are living in 103 rehabilitation camps spread across 29 districts of Tamil Nadu. In Tamil Nadu, we do not call them refugee camps. Our Chief Minister has renamed them as rehabilitation centres.

Sir, this Bill does not look at these people who have left their homes, and come to India seeking refuge to protect themselves. I would like to read a few lines of a Sri Lankan poet, Sivaramani:

?The sound of a single gun fire on a star-lit-night,

smashing the silence and exploding,

reduced nothing the meaning of all our children?s stories.

And in the brief daytime remaining,

they forgot how to make chariots

from thorn apple seeds or to play hopscotch.

Amidst the stress of a night during wartime,

our children had turned into adults.?

This is the pain with which they have come to this country for seeking refuge. But, this Bill does not address their plight, and does not care about their future.

Sir, clause 3 mandates that any person entering or staying in India must possess a valid passport visa, otherwise, he will be punished with an imprisonment of five years and a fine of Rs. 5 lakh. Sir, how is it possible for a fleeing refugee, who comes seeking asylum to our country, to have a valid passport or visa? If these provisions are strictly enforced, the Sri Lankan Tamil refugees in Tamil Nadu will be liable for criminal prosecution after living here for over 40 years.

Sir, the Tamil Nadu Government has a history of treating refugees in our State in a humanitarian way, giving them as much rights as allowed. Therefore, we request that the Government of Tamil Nadu should be included in the process when you bring in some Bill like this to safeguard the interests of the people who live and seek asylum here. *....(Interruptions)*

To make the process fair and accessible, the Government must initiate a special drive with the following features:- Relaxing of documentary requirements, especially for those born in India or residing in refugee camps, waiver or reduction in the minimum residency requirement

considering their continuous stay since the 1980s, a dedicated and simplified application process supported by the Government of Tamil Nadu for verification and facilitation. .... *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Thank you, hon. Member. Please conclude your speech.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI : The Government of Tamil Nadu should be entrusted with the responsibilities like, identifying refugee families eligible for regularization and citizenship, assisting in verification and documentation, particularly for those without formal papers, recommending individuals and families for legalization and fast-track citizenship or exemption from penal and deportation provisions.

Sir, I request the Government to understand that people, who have left their countries, who cannot go back to their countries, who have no homes anymore, cannot be treated as illegal migrants, and you have to look at them. *....(Interruptions)* They want a humanitarian Government to look at them with compassion.

Thank you.

SHRI PUTTA MAHESH KUMAR (ELURU): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to discuss the important legislation on the Immigration and Foreigners Bill, 2025, which is a progressive step towards strengthening the national security while following the principle of *Vasudhaiva Kutumbakam*.

Sir, my India is incredible India where Kashmir is like Switzerland and Rajasthan is like UAE with deserts and beautiful rivers, and old cultural temples. Therefore, the number of foreign tourists and immigrants has significantly increased, especially after COVID-19.

If we observe, they are coming from all the parts of the world, irrespective of the region, race or gender. However, there are appropriate steps and procedures which should be followed strictly when one enters into a country. In contemporary society, illegal immigration

has emerged as a significant concern for India. According to established data, the number of illegal immigrants residing in India has increased by approximately 10 to 15 per cent annually over the past decade. In 2021, it was reported that around two million undocumented immigrants were living in India, with a significant number coming from neighbouring countries.

Now, a lot of immigrants from foreign countries come to India for education. I am very proud to say that today our Indian education system has good institutions in India. Earlier, we used to go to other countries to study for higher education. Now, people from foreign countries, including the US and various European nations, are coming to India for higher education. In the last decade, India has seen a 45 per cent overall increase in this trend. In the last 10 years, over 50,000 students from 160 countries have come to India for higher studies.

As they are coming here, India has emerged as a global education destination. Hence, maintaining accurate and secure records becomes essential. We must make sure that the process of such collection remains smooth and respectable for the individual?s privacy as a priority.

Some 10 years back or 20 years back people used to go outside the country for good medical treatment, but today other countries are coming to India for medical treatment, especially for cancer treatment. We have seen impressive growth in medical tourism with the sector?s growth of 18 per cent over the last five years. Post-COVID, we saw a rapid increase in patients from across the world seeing the potentials of our country?s medical institutions.

Since 2023, India has welcomed over 7,00,000 medical tourists contributing approximately 9 billion to our country. As we grow in this field, there is a need to maintain comprehensive records of the patients as they travel back and forth between our country and theirs so that a chain of information is maintained. I would like to urge the Minister to maintain safeguards as per our data privacy legislation, which must be done to protect sensitive information and prevent violation of privacy.

The Bill mandates the formation of Bureau of Immigration to oversee the proper implementation of the Bill. While the Bureau tackles issues regarding immigration into our country, I would like to raise the concern of Indians stuck in foreign countries, especially children and women who have been taken away from their homes and taken to foreign countries.

My State of Andhra Pradesh has faced troubles or issues of women and even transgenders disappearing. That causes a lot of pain to their families. Our Deputy CM, Pawan Kalyan ji had raised this issue lot of times. I have moved a Private Members Bill regarding establishment of a Bureau of Missing Individual Women and Children database to keep track of individuals, who have gone missing from their homes, and help the State?s investigation in speeding up the issue.

I would like to urge the hon. Minister to consider these suggestions. The Immigration Bill is promoting India's principle of *Vasudhaiva Kutumbakam*. Therefore, I support the Bill. Thank you.

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 लाया गया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। हम लोग अपनी पार्टी जेडीयू की तरफ से इस बिल का समर्थन करते हैं।

महोदय, हमारा देश चारों तरफ से सुरक्षित होना चाहिए। देशहित में यह विधेयक आया है, जो कि काफी सराहनीय है। जब देश सुरक्षित रहेगा, तब हम सुरक्षित रहेंगे। यह विचार हमारे मन में पहले से ही आता था। अगर हमारी सीमा चारों तरफ से खुली रहेगी तो कोई भी आतंकवादी हमारे देश में घुस सकता है। चाहे वह आतंकवादी पाकिस्तानी हो या चीन का हो, कोई भी आतंकवादी हमारी सीमा में घुस सकता है। जिस प्रकार से हम लोग अपने घर को चारदीवारी से बंद करते हैं, दरवाजे पर ताला लगाते हैं, उसी तरह से हमारा देश भी सुरक्षित होना चाहिए।

महोदय, मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय सदन में रख रही हूं। अभी बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल चल रहा है। इसके कारण घुसपैठिए सीमा पार करके भारत में आ रहे हैं। यह काफी गंभीर मामला है। बंगाल में तो अवैध प्रवेश हो

ही रहा है, इसके साथ ही नेपाल के रास्ते बिहार और उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं। अतीत में हम लोग रोहिंग्यों के समूह को देख चुके हैं। ये हमारे देश को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रहे हैं।

चीनी घुसपैठिए, नेपाल में आकर फिर बिहार आ रहे हैं और फिर देश के अन्यत्र भाग में जा रहे हैं और अशान्ति पैदा कर रहे हैं। नेपाल के कई जिले नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। भारत-नेपाल सीमा ओपेन है। यहां किसी भी प्रकार की बाधा घुसपैठियों को रोकने के लिए नहीं हो रही है। वे ओपेनली वहां से यहां आ-जा रहे हैं। यह काफी चिंता का विषय है। यह भी देखा जा रहा है कि कुछ असामाजिक गतिविधियों में लिप्त तस्करों और अपराधियों का भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आना-जाना बना हुआ है। यह काफी खतरनाक खेल हो रहा है। मुझे आंकड़े मिले हैं, जिसमें नेपाल से घुसपैठ कर बिहार में आकर रहने वालों के आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदन मिले हैं और जो लंबित हैं, उनकी संख्या 2,823 है। इसमें अधिकांश नेपाल से सटे हुए जिलों के लंबित मामले हैं। यह भी चौंकाने वाला आंकड़ा है।

महोदय, खासकर जम्मू और कश्मीर एवं पश्चिम बंगाल काफी संवेदनशील राज्य हैं। यहां हमेशा आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की खबरें आती हैं। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी संभावित खतरा हो सकता है। ऐसे कई प्रमाण सरकार को मिले भी हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न हो गया है। म्यांमार सीमा से मणिपुर में घुसपैठ के कारण आज मणिपुर करीब दो वर्षों से दो समुदायों की जातीय हिंसा से प्रभावित है और शांति के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी सरकार प्रयास कर रही है, वहां की राज्य सरकार पहले प्रयासरत थी और अब वहां राष्ट्रपति शासन है। कोशिशें हो रही हैं, किन्तु घुसपैठियों के कारण ही मणिपुर में शांति कायम होने में बाधा आ रही है।

महोदय, पिछले कई दशकों से असम में अवैध प्रवासियों के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे आज भी राज्य और देश के लिए परेशानियां पैदा कर रही हैं। राज्य में अशान्ति का यह भी मुख्य कारण है। मैं आशा करती हूं कि सरकार द्वारा प्रस्तुत अप्रवास और विदेशी नागरिक विधेयक के माध्यम से भारत में विदेशियों के अप्रवास, प्रवेश और प्रवास को नियंत्रित करने में सक्षम कानून बनेगा। अब चार कानूनों, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 और अप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। नया कानून काफी प्रभावी और स्पष्ट होगा। यह देश में अवैध घुसपैठियों को रोकने में कारगर होगा, साथ ही देश में विदेशी निवेशकों के विश्वास को भी स्थापित करेगा, क्योंकि अब निवेशकों का वीजा भारत में पर्याप्त निवेश करने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक निवास का मार्ग प्रदान करेगा। इससे देश में प्रमुख क्षेत्रों बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, रियल एस्टेट में एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा।

सरलीकरण, निवेशकों को अधिक पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। आव्रजन प्रणाली के डिजिटलीकरण से देश के भीतर व्यापार की गतिशीलता बढ़ेगी और अब लॉजिस्टिक्स, फार्मा, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार और अधिक बढ़ने की सम्भावना है। देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का प्रधान मंत्री जी का सपना साकार होगा।

मैं अंत में कहना चाहूंगी कि विधेयक का प्रमुख लाभ यह है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा। यह विधेयक हमारे देश में अवैध प्रवासियों की पहचान कर उनके नियमन को सुनिश्चित करेगा। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी और किसी भी सम्भावित खतरे को रोकने में मदद मिलेगी। यह आर्थिक अवसरों की रक्षा करेगा। अवैध प्रवासियों की अनियंत्रित संख्या, स्थानीय नागरिकों के रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि देश के संसाधनों का उचित वितरण भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुए किया जाए। वैध प्रवासियों के लिए अधिक पारदर्शी कानून, भारत में आने वाले वैध प्रवासियों के लिए दिशा-निर्देश तय करेगा।

महोदय, यह विधेयक केवल कानून और व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत के उज्ज्वल भविष्य और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वूपर्ण कदम है। मैं सदन के सभी माननीय संसद सदस्यों से आग्रह करती हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें और इसे पारित कर भारत को एक सुरक्षित, समृद्ध और संगठित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें।

महोदय, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL) : Hon. Chairperson Sir, the hon. Home Minister Shri Amit Shah Ji has introduced the Immigration and Foreigners Bill 2025 in the House and the same is being discussed and debated. Sir, the aim of this Bill is to strengthen and streamline immigration and foreigners-related laws.

Sir, about the Immigration and Foreigners Bill 2025, the Bill repeals the earlier Acts. There were four Acts which were having this kind of arrangement of foreigners and immigration. Three Acts out of them were introduced pre-independence and one was introduced in the year 2000. These four Acts had provisions which were overlapping and to streamline and make it a very simplified version of the legislation, this Bill has been brought.

The key provision of this Immigration and Foreigners Bill is, of course, national security measures. The Bill prioritizes national security and sovereignty, barring entry or residence for any foreigner posing a threat to India's integrity. We welcome that. The immigration officers will have the authority to arrest suspects without a warrant if they are believed to be violating immigration laws. Now, if you see, clause 3 of the Bill gives unbridled powers to the immigration officers. In that, some kind of equilibrium should be maintained because if it goes one-sided or lopsided, it may affect bilateral ties with the foreign countries. I hope the hon. Minister would take care of that.

The immigration officers have the authority, and an officer or a person of head constable level has also been given the power to meet this kind of eventualities and this, of course, needs to be revisited or a review should be taken or the wider opinions should be conducted as to how to go about it. Additionally, all foreigners must register upon their arrival. Their movements, name changes and access-restricted areas will be monitored. That is, of course, needed which is being introduced in the Bill.

The basic thing is about the stricter entry and stay regulations. All foreigners must have their valid passports. Of course, without this document, there is no question that anyone would enter. But things do happen. We have seen the duplicate passports and the *mala fide* intentions of the visitors who come with some ulterior motives and how that causes damage to the nation. We have seen that in the past; we are seeing that in the present; and we may see that in future too. We need to correct that and that is why the legislation is there.

Educational institutions, establishments, hospitals and carriers, airlines transport operators have a responsibility which is being highlighted in this legislation, and which we welcome. But at the same time, that equilibrium should be maintained, that balance should be maintained, where the things would go as far as our foreign ties are concerned. Sir, severe penalties for violations are also introduced which I think should be revisited because much

stricter penalties for violations are there in the countries like United States, Singapore, Australia Hong Kong, etc. I think that should be followed because this kind of playing with the rules and regulations of the country as far as immigration is concerned, is serious in nature and I think the Home Minister may ponder over it and enlighten the House as to how they have gone about it.

Sir, foreigners holding dual citizenship will be recognized as citizens of the country whose passport they use to enter India. The intention of the Bill may be to prevent illegal entry and stay in our country. For the last so many years, the Central Government has also blamed some States, where the infiltrations take place and where illegal migrants come in India. They not only stay but they have their *mala fide* intentions and they carry out the kind of activities which are detrimental to the health of the country.

My serious concern is this. Our borders are open. Myanmar is there, Bangladesh is there, from where we see entries of Rohingyas, entries of people who have been making illegal stay in India. That has been going on. Despite that, they are able to get ration cards, they are able to get Aadhaar cards etc. Then one fine day, we see that those who are implicated or those who are nabbed or apprehended by the law enforcing agencies for doing wrongful acts, at that point of time, we come to know they are not the nationals of India. So, these are the things for which stricter arrangement should be there in the law.

More than that, along with this, though this may not be the part of this legislation, but I would urge the hon. Home Minister that the first and the foremost thing that we should do is to seal our borders with the neighbours. That is what will really curtail this problem that we are facing.

Sir, students come from outside like from the United States or the United Kingdom. Things should be little easy for them because they also share or they also blend themselves with our culture, which enhances the image of our country globally.

Last but not least, the Central Government has also deployed paramilitary forces like BSF, ITBP, SSB as second line in addition to Armed Forces on the borders. Some activity is being carried out on the borders which is day by day increasing and which is detrimental to us. That should be looked into and some provision be made in this law also. A very robust mechanism should be in place as far as immigration is concerned.

With these words, I conclude.

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : सभापति महोदय, मैं आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 पर अपनी बात रख रहा हूं। सर्वप्रथम मैं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । देश में ऐसे कानून हैं, जिनकी वजह से देश में घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उस पर रोक लगाने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है।

महोदय, देश में लंबे समय से अवैध घुसपैठियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है । इसका एक राजनीतिक कारण है, जिसके कारण कई विपक्षी पार्टियां इनको सपोर्ट भी करती हैं । इससे देश की सुरक्षा, जनसांख्यिकी, आर्थिक व्यवस्था और आंतरिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। घुसपैठ की समस्या मुख्य रूप से हमारे पड़ोसी देशों से आती है। विशेष रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल से अवैध घुसपैठ हमारे देश में आते हैं। ये अवैध घुसपैठिएं आर्थिक कारणों, बेहतर रोजगार और जीवन-स्तर की तलाश में हमारे देश में आते हैं।

जबकि राजनीतिक अस्थिरता वाले पड़ोसी देशों में आंतरिक संघर्ष है, जैसे रोहिंग्या शरणार्थी संकट है, जो भारत में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देता है। कई अल्पसंख्यक समुदाय भारत में शरण लेने के लिए घुसपैठ करते हैं। ऐसी कई सारी विपक्ष की पार्टियां हैं, जो उनको सपोर्ट भी करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अवैध घुसपैठियों की मदद भी करते हैं। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि घुसपैठियों का समर्थन करने वाली पार्टियां ये नहीं सोचती हैं कि यह राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रभाव डालेगा।

महोदय, जब से हमारे देश में माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, तब से सरकार ने इन अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए कई तरह के कानून बनाए हैं एवं कुछ कानूनों में बदलाव भी किए हैं। यह उसका एक भाग है। इसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) बना है। असम में एनआरसी को लागू किया गया है, ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिओं की संख्या करोड़ों में है। वर्ष 2007 में यूपीए और कांग्रेस के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने संसद में यह बात कही थी कि भारत में डेढ़ करोड़

बांग्लादेशी रहते हैं। अभी उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उस पर रोक लगाने के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, राजस्थान और झारखंड में ज्यादा से ज्यादा संख्या में घुसपैठ हुई है। अवैध घुसपैठ से कई राज्यों की जनसंख्या में बदलाव आया है। उदाहरण के लिए असम के 33 में से 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 50 से 80 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिसमें अधिकांश बांग्लादेशी मूल के हैं। यह बदलाव राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित करता है, जिससे कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में घुसपैठियों का प्रभाव बढ़ता है।

महोदय, इमिग्रेशन और फॉरनर्स विधेयक, 2025 के द्वारा चार पुराने कानूनों को खत्म किया जाएगा। इनमें से तीन कानून - फॉरनर्स एक्ट, 1946, पासपोर्ट एक्ट, 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर्स एक्ट, 1939 अंग्रेजों के समय के हैं, जबकि इमिग्रेशन कानून को साल 2000 में बनाया गया था। भारत में रोहिंग्या और विदेशी घुसपैठ के संकट से निपटने के लिए पिछले कई वर्षों से बहस और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए नागरिकों की पहचान और रजिस्ट्रेशन सबसे जरूरी है। संविधान की सातवीं अनुसूची की केन्द्रीय सूची में एंट्री-17 के अनुसार नागरिकता का विषय केन्द्र सरकार के अधीन आता है, जबकि पुलिस राज्यों के अधीन होती है, इसलिए इस कानून को लागू करने के लिए राज्यों का सहयोग भी आवश्यक है। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना होने के बाद, नियमों के अनुसार जनसंख्या रजिस्टर बनना चाहिए था। नागरिकता के लिए संसद ने वर्ष 1955 में कानून बनाया, लेकिन उसके अमल के लिए पहली बार 2003 में नियमों के अनुसार नागरिकों के रजिस्टर (एनआरसी) का नियम बनाया गया। उसके बाद वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया के साथ आधार कार्ड का सिस्टम लागू हुआ, लेकिन उसमें पता और नागरिकता का वेरिफिकेशन न होने की वजह से मामला उलझ गया।

महोदय, जब देश में माननीय मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद वर्ष 2019 में नागरिकता अधिनियम में धारा-6बी के माध्यम से सीएए का प्रावधान किया गया। उसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया। असम समझौते को लागू करने के लिए नागरिकता कानून में धारा-6ए जोड़ी गई थी। इसके अनुसार पूर्वी पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश से आये लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अक्टूबर, 2024 के फैसले से उस कानून को वैध करार दिया है। भारत सरकार अवैध घुसपैठियों की पहचान, गिरफ्तारी और निर्वासन के लिए त्रिस्तरीय योजना पर काम कर रही है। असम में अब तक 12,500 से अधिक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जा चुका है

और जयपुर में 500 की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने भी अभियान तेज करते हुए अब तक करीब 600 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की है और 100 से ज्यादा को वापस भेजा है।

माननीय सभापति महोदय, ये बांग्लादेशी पूरी तरह से देश को केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सुरक्षा के कारण भी देश को चुनौती देते हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के द्वारा घुसपैठ पर पूर्णत: रोक लगेगी और देश की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद।

श्री सुखदेव भगत (लोहरदगा) : धन्यवाद महोदय, इमिग्रेशन एंड फोरनर्स बिल, 2025 पर बहुत गम्भीर चर्चा हो रही है। यह बहुत संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने भारत के बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वाक्यों का उन्होंने प्रयोग किया ??अतिथि देवो भव:? और ?वसुधैव कुटुम्बकम्? लेकिन यह तो ऐसा ही हुआ कि हमने शब्दों में प्रकट किया लेकिन व्यवहार में है ? ?आकाश से गिरे, खजूर में अटके।? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इस बिल का उद्देश्य एक समग्र और प्रभावी कानून, जो औपनिवेशिक युग के पुराने कानून को समाप्त कर, संगठित और कड़े आप्रवासन तंत्र को स्थापित करना।

महोदय, मनीश तिवारी जी ने क्लॉज 3 और क्लॉज़ 3 (1) के बारे में बताया। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। क्लॉज़ 3 में इमिग्रेशन ऑफिसर को क्या पावर दी गयी है? Their decisions are final and binding. Where is the judicial oversight? हम इनको इतना निरंकुश और पावरफुल राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बना रहे हैं।

महोदय, मैं दो-तीन एग्ज़ाम्प्ल देना चाहता हूं, जब यह कानून नहीं आया था। भारत देश में कॉमेडियन, शिक्षाविद या कवि आदि अलग-अलग लोगों की स्वीकार्यता ही इस देश की खूबसूरती है। लेकिन फरवरी, 2025 में इंडियन अमेरिकन सोशलिस्ट पॉलिटिशियन को भारत में आने से रोक दिया। क्योंकि वह आपके राजनैतिक विचारों से मेल नहीं खाते थे। कर्नाटक सरकार ने जब ब्रिटिश शिक्षाविद को बुलाया तो आपने उन्हें भी रोक दिया। हम राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्प्रभुता के पक्षधर हैं। इसके लिए और कड़े कानून हों, लेकिन पॉलिटिकली इस बिल का अगर आप उपयोग करेंगे तो क्या यह ?आकाश से गिरे, खजूर में अटके? वाली स्थिति नहीं होगी?

सभापति महोदय, हमारे गृह मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी अभी यहां मौजूद थे। मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 2016 में किरेन रिजिजू जी ने क्या कहा था? यहां इल्लीगल इमिग्रेंट्स की बात यहां लगातार आती रही है। किरेन रिजिजू जी ने 20 लाख इनकी संख्या बतायी तो अमित शाह जी ने कहा कि 40 लाख घुसपैठिये यहां आ रहे हैं।

हालांकि इसके सपोर्ट में उन्होंने कोई डाटा यहां नहीं दिया। सितम्बर, 2024 में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने झारखण्ड में चुनाव के समय में जाकर कहा था कि यहां बांग्लादेश से घुसपैठिये आ रहे हैं और यहां के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो आपके अंडर में है, क्या 56 इंच का सीना खोखला हो गया है? क्या आप सक्षम नहीं हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले वहां क्या कर रहे हैं कि लोग इस तरह से यहां आ रहे हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है कि जितने भारत में बाहर से आए हैं, उससे ज्यादा यहां से बांग्लादेश में गए हैं, इतनी राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भी। इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है, इस प्रकार से जो चीजें लायी जा रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि यह बहुत संवेदनशील मसला है और इस पर राजनीति से हटकर विचार होना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात क्लॉज़ 16 के बारे में कहना चाहता हूं। हमने वसुधैव कुटुम्बकम की बात यहां की। हम विश्व गुरू होने की बातें करते हैं। लेकिन ग्लोबली हमारी कैसी इमेज बन रही है? हमारे यहां जो पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए हमारे मन में यह भावना आ रही है कि ये गिल्टी हैं, दोषी हैं, उन्हें प्रूव करना है। क्या हमारी एजेंसीज़ इतनी सक्षम नहीं है कि वे देखें कि इल्लीगल वे में आ रहे हैं या जा रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि यहां लोगों ने कहा कि करीब 98 लाख लोग हमारे यहां बाहर से आए हैं, चाहे वे स्टूडेंट्स हों, मेडिकल स्टूडेंट्स हों या फिर पर्यटक हों। अब से उनकी सारी गतिविधियां ट्रैक की जाएंगी कि कौन सा होटल है, किस हॉस्पिटल में हैं? हम नागरिक सुरक्षा की बात करते हें और इस प्रकार की चीजें करते हैं तो हम भारत को कैसे आगे ले जा पाएंगे।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन उदाहरण यहां देना चाहता हूं। जिस प्रकार से नाइजीरिया के लोगों के साथ, अफ्रीकन देशों के स्टूडेंट्स के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, क्या आप इस प्रकार की इमेज बनाना चाहते हैं? मनीश तिवारी जी ने सही कहा। सिटिजन की बात उन्होंने कही, मौलिक अधिकार की उन्होंने बात की। नागरिक सुरक्षा, नागरिक स्वतंत्रता की जब बात होती है, तो क्या हनन करके इस प्रकार की चीजें हम ले जाना चाहते हैं?

महोदय, अंत में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि बिल तो अच्छा है, लेकिन लागू करने वाले कितने सच्चे हैं? आपकी नीति पर नहीं, आपकी नीयत बहुत महत्व रखती है। इसीलिए मैंने कहा कि आप इन सारी चीजों को जेपीसी में भेजें और बिंदुवार सभी चीजों को नागरिक सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा, इन सारी चीजों को देखा जाए और ग्लोबली हमारी क्या इमेज बन रही है, उन चीजों को देखते हुए हम निर्णय लें। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे जेपीसी में भेजा जाए। धन्यवाद।

SHRI ABHIJIT GANGOPADHYAY (TAMLUK): Honourable Chairperson Sir, I will present my speech in Bengali, expressing my gratitude to our Honourable leader Narendra Modi and the Honourable Minister of the concerned department, Amit Shah. Though the house is scarcely attended right now, I would like to know if anyone is opposing the bill. I don't think anyone has a reason to oppose this. I will start with a story. It is the story of West Bengal. In January, two years back, The Enforcement Directorate went to arrest a miscreant at his house at 7 am. While hiding in his house he had called atleast 76 times that day, which led to about 2,000 Rohingyas surrounding his house. This incident is concerned with Sandeshkhali. People from West Bengal are well aware of this incident. Two thousand Rohingyas surrounded and beaten the ED officers. Please listen to me right now. They were injured in that process and they were made to leave that place. Later, however, the culprit Shahjahan was arrested. Most of his supporters who have started living in Sandeshkhali are Rohingyas. They are foreigners and have no registration, passports and visas. In this way, some people of other religions coming from outside, the Rohingyas who are staying outside, are taking over West Bengal. What we understand from this incident is that India needs very strict laws.

A member present here, who is a Bengali, has been wanting to make various comments since the beginning. I was in the library a while ago. I was collecting some documents from there. Carrier liability, that is, when foreigners are brought to Indian soil, the Carrier liability Act, 2000 mentions clauses for those coming by ship or those coming by plane. Those coming by ship will get off at the port, there is a strict screening place there. Those coming by plane will get off at the airport, a strict inspection awaits there as well. But that law does not mention what will be done to those who are crossing the border from Bangladesh by road. Since I am a person from the field of law, I have to talk a bit about laws. When we deliberate on a new law, we have a provision about which those who practice law a little bit are certainly aware. We call that the mischief rule. We need to ponder on which law has to be created to stop what kind of mischief. One reason to bring this concerned bill is that there were no existing provision in the

earlier act regarding the people who were encroaching in small vehicles. Today the definition of carrier is clearly stated in the clause.

> ?Carrier means a person or entity, including any association of persons or company, whether incorporated or not, who is engaged in the business of transporting passengers or cargo by air, water or land.?

There was no clear mention of this word "land" in previous clauses. Those who are crossing the border and encroaching in our land by Matador, tempo or other small vehicles, could not have been booked for trials. Because there was no provision. Today the provision is clearly stated. There was a chance of mischief earlier. To remove that a new law was urgently needed and that why it is being created. This bill repeals four other existing laws. Those four laws are- The Passport entry into India Act, 1920-which is a law created during the British Period, during the first world war, The Registration of Foreigners Act, 1939, which was created during second world war, The Foreigners Act 1946, and The Immigration (Carriers? Liability) Act, 2000. I just spoke about the last law. The other three laws were created during the British period. I brought the books from the library for those great erudite scholars who have made various great comments. I want them to see the law once. Look at the laws, read the books, and try to understand how ancient and obsolete the laws are. These laws that were created in 1920, 1939 and 1946 were all created for the British subjects. Are we British subjects anymore? Adoption of rules and orders were passed in this Lok Sabha in 1950, Due to which all these laws are still being enforced. We created a new law today.

After almost 75years, we are doing so. There were many governments before this one who ruled for long tenures. They were not bothered with this. They were not bothered by the recurring incidents of people coming from outside and disrupting the population of West Bengal. This incident was happening day after day because they were the accomplices to this. In the current situation, many people have fake voter cards and dark cards which need to be cancelled. If this law is in place, it can be enforced to show that a person is not a citizen of

India. Because I am a resident of West Bengal, I will have to state the dangers that our state faces. It was well advertised that if NRC gets implemented, people will be expelled from India. Merely 250 applications were registered for NRC, but at least 2.5 crore people are living in West Bengal illegally and disrupting the population of the state. We all know where those who are looting from our country are and which group they belong to.

A member was talking about BSF. I am not giving a clean chit to BSF. But where there is a huge border between India and Bangladesh, a large part of which is in West Bengal, the BSF cannot stand there barricading the line. There is barbed wire, there are gaps between people, and this smuggling takes place in between. When the central government allowed BSF do commence their work 50 kilometres inside the border, who were the people who loudly protested against it? Those people are the same ones who are sitting here today and interrupting me. Consequently, this law is being created, it will be implemented in future. It is strictly defined who are the foreigners in this law. A while ago, hon. Member Saugata Ray opined that Mr. Amit Shah is a strict person. I will request him to be even stricter and all these people who are inhabiting our land but are not Indians are needed to be sent outside the country's border. They are also disturbing our democratic process. Governments are getting elected with the help of their false votes. We have had meetings with the Election Commission regarding this issue.

A section is shedding crocodile tears today because the false votes are getting checked. These fake voter cards are issued by West Bengal government employees, who are selected and appointed by TMC workers. I am concluding because it is inevitable. But there was so much more to say.

Thank you.

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आज आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 का दृढ़ विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह कार्यपालिका को असीमित शक्तियां देता है और संवैधानिक अधिकारों को खतरे में डालता है। सरकार कह रही है कि यह विधायक इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि मौजूदा कानून पुराने हो चुके हैं और बिखरे हुए हैं, लेकिन मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या हमारा संविधान पहले से ही ये सारी शक्तियां सरकार को नहीं देता है? हमारा संविधान और मौजूदा कानून पहले से ही सरकार को आप्रवासन नियंत्रित करने की पूरी शक्ति देता है। पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशी अधिनियम 1946, नागरिकता अधिनियम 1955 के जरिए सारे अधिकार भारत सरकार के पास पहले से ही हैं।

महोदय, यदि भारत सरकार के पास पहले से ही सारी शक्तियां हैं तो इस नए विधेयक की जरूरत क्या है? असल में सरकार अपनी शक्ति को केंद्रित करना चाहती है, न्यायिक निगरानी को खत्म करना चाहती है और एक ऐसी नौकरशाही प्रणाली बना रही है जो मनमानी कर सके।

महोदय, यह विधेयक धारा 5 के तहत आप्रवासन ब्यूरो स्थापित करता है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगा और राज्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। यह भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है और उन राज्यों को दरकिनार कर देता है जो आप्रवासन की समस्याओं से सीधे प्रभावित हैं । इससे भी खतरनाक धारा 26 है जो उचित संदेह के आधार पर बिना वारंट गिरफ्तारी की अनुमति देती है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और इससे मनमानी गिरफ्तारियों के दुरुपयोग का खतरा बढ़ता जाएगा। धारा 88 के तहत विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों की जानकारी सरकार को देनी होगी। धारा 10 के तहत अस्पतालों को विदेशी मरीजों की रिपोर्ट देनी होगी। क्या अब डॉक्टर इलाज करने से पहले मरीजों का वीजा चेक करेंगे और विश्वविद्यालय को अध्ययन केंद्र की बजाय जांच एजेंसियां बना दिया जाएगा? यह विधेयक पीड़ितों की मदद करने के बजाय उन्हें अपराधी बनाता है। धारा 33 के तहत सरकार को अधिकार है कि जिसे चाहे इस कानून से छूट दे सकती है। यह छूट किसे मिलेगी? क्या सत्ता से जुड़े लोगों, अमीर निवेशकों, जो विदेशों में आर्थिक अपराध कर भगोड़ों की मदद करेंगे, उनके लिए है? यह कानून भेदभाव और भ्रष्टाचार का रास्ता खोलता है।

महोदय, भारत हमेशा से राजनीतिक शरणार्थियों के लिए आश्रय स्थल रहा है । वसुधैव कुटुम्बकम हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान रहा है। ह्वेनसांग और फाह्यान जैसे विदेशी नागरिक ज्ञान की खोज में भारत की भूमि पर हजारों वर्ष बिना रोक-टोक के आते जाते रहे हैं। हमने वर्ष 1959 में तिब्बती शरणार्थियों को शरण दी जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। हमने वर्ष 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान लाखों लोगों को शरण दी

और श्रीलंकाई शरणार्थियों को भी शरण दी, जब वे गृह युद्ध में फंसे हुए थे। अब यह सरकार भविष्य में शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद क्यों कर रही है? उन्हें अपराधी क्यों बना रही है?

महोदय, यह कानून अमेरिका में भारतीय नागरिकों के साथ किए जा रहे भेदभाव को भी सही ठहराता है। यह वही सरकार है जो विदेशों में बसे भारतीयों की उपलब्धियों का गुणगान करती है, लेकिन जरा याद कीजिए कि हाल ही में क्या हुआ था? अमेरिका ने भारतीय छात्रों को जंजीरों में बांधकर भारत भेज दिया और उन्हें अपराधियों की तरह अपमानित किया। 20 से अधिक भारतीय छात्रों को अमरीका ने वापस भेज दिया और 15 घंटों तक बेड़ियों में जकड़े रखा, लेकिन भारत सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और न ही कोई कड़ा विरोध दर्ज किया। अब यह सरकार खुद ही ऐसे कानून बना रही है जो भारत में विदेशी नागरिकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने की अनुमति देगा। यह विधेयक राज्यों को आप्रवासन नीति से पूरी तरह बाहर कर देता है, जबकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य आप्रवास की सीमा समस्या का सीधा सामना करते हैं। तमिलनाडु के श्रीलंकाई शरणार्थी, बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों प्रवासी श्रमिक विदेश जाते हैं लेकिन इन राज्यों से कोई सलाह नहीं ली गई।

माननीय सभापति जी, विपक्ष आप्रवास सुधार के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरी मांग है कि यह बिल संसदीय समिति के पास जांच के लिए जाना चाहिए।। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसे जल्दबाजी में पारित न करे, इसे संसदीय स्थायी समिति को भेजे, जहां गहराई से विचार-विमर्श करके इसे फिर से तैयार किया जाए ताकि यह भारत के संवैधानिक मूल्यों, मानवीय गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप हो सके। धन्यवाद।

***m17 SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI):** Thank you, Chairman, sir. Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Immigration and Foreigners Bill, 2025.

I would like to call out the strengths of this Bill. Clause 3 and Clause 5 streamline the immigration process and procedure by consolidating various laws into one framework. This could make it easier for foreigners to enter, stay, and exit India, potentially boosting tourism and foreign investments.

Clause 3 enhances national security and empowers immigration officers to deny entry to foreigners, who pose a threat to national security, sovereignty, or public health.

Clause 17 discusses about liability and responsibility of carrier to ensure that passengers have valid documents. This will help reduce illegal immigration.

16.00 hrs

Clause 6 discusses registration, and monitoring mandates under registration for foreigners staying over 180 days. This improves tracking and accountability.

It is necessary to bring some improvements to be brought to the Bill. For example, in Clause 3 on potential human rights, concerns are giving room for critics arguing that the Bill could infringe on Constitutional rights.

This can result in denying entry based on political affiliations or other grounds.

In Clause 3, impact on talent inflow might deter foreign talent and expertise from entering India affecting sectors like education and healthcare.

In Clauses 4 and 7, enforcement brings challenges on effective enforcement, especially in States with porous borders. For example, in Clause 4 establishing and maintaining these posts, especially in coastal areas like those in Andhra Pradesh can be logistically challenging. It requires significant infrastructure and personnel resources. This demands adequate funding, technology, and trained personnel.

There are 14 States that share boundaries with foreign countries, out of which few even have geopolitical tensions. I understand, there could be enough measures in the States where high sense of urgency is needed.

However, what would happen to the States which share coastal borders, but have very limited human resources and weaponry? What measures are taken, in the Bill, to prevent such infiltration of illegal immigration to the States which are not in high radar under the Border Security Forces? To prevent such cases, it is necessary the States work closely with the Central Government and only then I see the Clauses 4 and 7 function effectively.

For example, with Bangladesh we have border area land of approximately 4,096 kms.; with Pakistan approximately 3,190 kms.; with China approximately 3,488 kms. including the Line of Actual Control; with Nepal approximately 1,751 kms.; with Bhutan approximately 699 kms.; and with Myanmar approximately 1,643 kms where we have States having unfenced borders. Therefore, to have the effective functioning of Clauses 4 and 7, the aforementioned callouts have to be seriously taken up.

Workers, who migrated to Kuwait and other middle-east countries, are facing challenges like contract violations with reduced wages and extended working hours, overcrowded accommodations and lack of basic amenities, limited healthcare access and lack of proper insurance services, and they face vulnerability under the restrictive sponsorship-based employment system such as the Kafala system.

Before I conclude, I would urge the Government to make immediate intervention to safeguard the workers' rights.

On behalf of the YSR Congress Party, I support this Bill. Thank you, Sir.

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you so much for allowing me to take part in the discussion on the Immigration and Foreigners Bill, 2025. This Bill is very much necessary for protecting the security of our country and to control illegal migration. But citing this as a reason there is fear instilled in our minds whether this Union Government will snatch away the fundamental rights by way of accumulation of powers. This Bill provides many conditions for foreigners in getting Visa to come to India. This will affect our Tourism industry very much. Foreign exchange will come down. Our economy will be affected. This Bill provides unlimited powers to the Officers. It says that the decisions of the Officers will be final and binding. This Bill says that there is no appeal mechanism. It is injustice to say that the decision of the Officer concerned is final. This is dangerous too. Article 14 of our Constitution provides for equality before law. Not only law is common for Indian citizens but

also for those who live in this country. In Tamil Nadu, Sri Lankan Tamils have been living in rehabilitation camps for the last 40 to 50 years. It is unfortunate to state that this Bill does not talk about providing citizenship to Sri Lankan Tamils living in India. They have come to India to protect their lives and belongings. Tamil Nadu has given permission for them to live in the rehabilitation camps in the State on humanitarian grounds. They do not have citizenship as on date. You cannot deport them. You cannot send them back to their country. They do not have anyone there. They do not have houses there. They do not have relatives. They lost everything and only after that they came to India. I urge that these Sri Lankan Tamils should be given citizenship of our country on humanitarian grounds. Those who come from foreign countries are denied permission in the airports, even though they have Visa. If questioned, they are told to contact the Indian Consulates of their respective countries. When contacted, the Indian Consulate of that country redirect them once again to the Indian authorities. There is no clarity in their replies. Persons having Overseas Citizen of India (OCI) Visa are even denied entry into our country. They are stopped at our airports. Mostly Muslims are refused Visa. Visa is denied to those coming to India from countries like Malaysia and Singapore. Government should ponder over all these issues. Foreigners come to India in large numbers mainly for medical treatment and for pursuing education. This Bill puts so many conditions for these two aspects. This Bill seeks for complete information from the students who come to pursue education in India. For the stay of students in India, so many strict conditions are laid in this Bill. Already they provide complete information when they come to India for pursuing education. If you increase the volume of information to be collected from them, this will be a debacle and bring down the number of such foreign students studying in India. If they do not register, the condition says that these students cannot continue their studies. This is really affecting their educational rights. The number of foreign students coming to pursue education in India will definitely go down. Similarly, if you put so many stringent conditions for the patients coming to India for medical treatment, that will be seen as inhumane act of this Government. Foreign nationals fly to India for medical treatment on emergency condition and if this Government puts

strong conditions, this will cause inordinate delay in their treatment at times causing loss of their lives. I therefore urge upon you to relax all these terms and conditions. There is a danger that the law could be misused and foreigners be made the offenders. Due to strict conditions being laid down through this Bill, investors in the field of Sports may show hesitation to invest in India. This Bill states that the Indians who try to help the foreigners illegally will also be considered as offenders. There is no second opinion on action against those who support the illegal migrants. But I wish to state that this provision should not be used for settling scores of political vendetta. I am afraid that this may be very well misused in vendetta politics. Countries around the world are announcing relaxations in acquiring Visa for encouraging tourism. If we propose more conditions for getting Visa in our country, the number of tourists visiting India will drastically come down and thereby affect our foreign exchange and economy as well. I therefore urge that this Bill should be referred to the Joint Parliamentary Committee for complete examination. I urge that only after detailed discussions in the JPC, it may be passed in this House. Thank you.

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for allowing me to speak on the Immigration and Foreigners Bill, 2025, a Bill that seeks to consolidate India?s immigration laws by replacing four existing legislations. The Government claims this Bill will modernize our immigration system, enhance national security and streamline visa and foreign registration process. However, beneath these claims lies a deeper reality, one that raises concerns about civil liberties, humanitarian obligations and the unchecked power of authorities.

Sir, one of the most alarming aspects of this Bill is the excessive power granted to immigration officers. The Bill allows them to arrest individuals without a warrant if they suspect violation of immigration laws. This provision is open to abuse and could lead to arbitrary detention, harassment of foreign nationals and even targeting of specific communities. Moreover, the Bill allows the Government to deny entry for deported individuals if they are deemed a threat to national security or public order. But who defines this threat? Without clear

guidelines, this could be used selectively to target refugees or foreign journalists and activists critical of the Government.

Sir, India has historically provided refuge to victimized communities, be it Tibetans, Sri Lankan Tamils, Afghanistanis or Bangladeshis. However, this Bill does not include any provision to protect refugees instead of establishing a transparent refugees? policy. It puts all foreign nationals under a rigid immigration framework.

Sir, we must also question whether this Bill, like past policies of this Government, will be selectively enforced. We have already seen how laws like the Citizenship Amendment Act were designed to benefit some communities while excluding others. Will this Bill be used in a similar way to harass certain groups while favouring others? The creation of the Bureau of Immigration, as proposed in this Bill, raises concerns about bureaucratic inefficiency instead of simplifying the immigration process. This could lead to more theft and corruption. There is no clarity on how accountability will be ensured, or whether the rights of foreign nationals will be protected from arbitrary decisions. Moreover, the penalties for overstaying or documentation error are severe. This would affect genuine visitors, students and professionals.

Sir, this Bill does not exist in isolation. India has millions of workers living abroad, especially Keralites in the Gulf, South East Asia and Western nations. If we create strict and arbitrary immigration laws, how can we expect other countries to treat our citizens fairly? This Bill fails to recognize that immigration is a two-way process and does not include any provision for protecting the rights of Indian migrants abroad. So, I urge this House to reconsider the Bill's provisions and introduce necessary changes to protect the rights, uphold humanitarian values and prevent misuse. Thank you.

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (काजीरंगा) : महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे ज्यादा आभारी भारत के प्रधानमंत्री, हमारे नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी का और आई थिंक, स्ट्राँगेस्ट होम मिनिस्टर इन दी वर्ल्ड, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जो ये चार कानूनों को हटाकर एक इमिग्रेशन बिल लाये हैं। यह

बिल लाकर, हम लोग विरोधियों को सुन रहे थे, वे हैरेसमेंट की बात बोल रहे थे, यह बिल जोरो ऐरर बिल है, इसके लिए मैं समर्थन करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल, जो विदेशी लोग यहाँ पर आएंगे, जो पासपोर्ट लेकर आएंगे, उनके लिए सेफ है, लेकिन जो बिना पासपोर्ट के घुसेगा, फेक पासपोर्ट लेकर घुसेगा, इस बिल में उसके लिए सजा का प्रावधान है। यह जो व्यवस्था की गई है, यह अच्छी है।

सर, यह जो इमिग्रेशन बिल लाया गया है, आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025, यह प्रावधान जो किया है, यह प्रावधान अच्छा है। यह बिल बहुत सोच-समझकर लाया गया है। जो पुराने चार एक्ट थे, उनके जो कंट्राडिक्टरी प्रावधान थे, उनको खत्म करके यह एक नया बिल लाया गया है। यह एक नई सोच है। मैं इसके लिए सरकार को बार-बार धन्यवाद देता हूँ और सोचता हूँ कि क्या यह सरकार जो है, हमारी भाजपा की जो सरकार है, पहले देश, उसके बाद दल, उसके बाद व्यक्ति के बारे में सोच रही है, यह बिल उसे रिफ्लैक्ट कर रहा है। कांग्रेस कुछ भी बोले, मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूँ कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 था और इसके होते हुए भी इल्लीगल माइग्रेंट्स को इसमें रखने के लिए आईएमडीटी कानून यहाँ पर लाया गया था। आईएमडीटी कानून लाकर, लॉ लाकर पूरा हैरेसमेंट किया और पूरे नॉर्थ-ईस्ट को ही नहीं, पूरे इंडिया को विदेशियों का एक सेफ जोन बना दिया था। इस आईएमडीटी कानून को ऐसे बनाया था कि अगर कोई विदेशी है, उसको साबित करने की व्यवस्था ऐसी थी कि अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ बोले तो उसको ही प्रूफ करना पड़ता था, किसी इंडियन को प्रूफ करना पड़ता था कि वह व्यक्ति विदेशी है। इसमें सारा उल्टा है। कांग्रेसी लोगों को मैं बोलता हूँ कि वे इसका समर्थन करें। मनीश तिवारी जी बोल रहे थे, मैं उन्हें सुन रहा था, उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया। इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। कांग्रेस ने कभी आईएमडीटी एक्ट के लिए क्षमा नहीं माँगी। 1979 से जो असम एजीटेशन हुआ, वहाँ 855 लोगों को मार दिया, वह तो सरकारी हिसाब है, बे-सरकारी हिसाब से कितनों को मारा, इसका कोई हिसाब नहीं है। उसके लिए कभी भी इन लोगों ने एक बार भी क्षमा नहीं माँगी है। जिसके कारण से बाद में आईएमडीटी आईन को रिपील करने के लिए सर्वानन्द सोनोवाल जी ने वर्ष 2000 में एक केस फाइल किया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 में रिपील किया। अगर उस टाइम में हमारी भाजपा सरकार होती, एनडीए सरकार होती तो कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, संसद में लाकर इसे खत्म कर दिया जाता।

सर, यह जो एक्ट है, इसमें बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स आएंगे, उन्हें क्यों पासपोर्ट नहीं चाहिए? कोई मेडिकल कारण से आये, उसे क्यों पासपोर्ट नहीं चाहिए? निश्चित रूप से उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए। लीगल पासपोर्ट होने से उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं तो वह क्यों आयेगा। ऐसा बोला गया कि हम लोगों के इंडियन लोग बाहर जा रहे हैं, मैं अपील करता हूँ कि वे लोग भी लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर जाएं। ऐसा करेंगे तो उन्हें किसी हैरेसमेंट का सामना

नहीं करना पड़ेगा। इल्लीगल रूप से उन लोगों को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। इंडिया में जैसे आ रहे हैं, अभी हमारे एक सांसद बोल रहे थे, वे लैंड से आते हैं, बांग्लादेश से जितने इमिग्रेंट्स आये, 1950 से आना शुरू हुए, नेहरू-लियाकत पैक्ट से शुरू हुआ, जो एक एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से अभी तक, अभी तो बंद हो गया है, एनडीए गवर्नमेंट आया, उसके बाद माइग्रेशन बंद हुआ है, इल्लीगल माइग्रेशन बंद हुआ है, इसके लिए फेन्सिंग देना पड़ा, इसके लिए हम लोगों को एनआरसी करना पड़ा, इसके लिए कानून लाना पड़ा, कितनी व्यवस्था करनी पड़ी, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। कांग्रेस और विरोधी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी-कभी नॉर्थ-ईस्ट की इमिग्रेशन और माइग्रेशन हिस्ट्री भी आप लोग देखिए, जहाँ पर कांग्रेस ने हम लोगों का दम खत्म करके रखा था। जो पूरी कल्चरल व्यवस्था थी, कल्चर, लैंग्वेज, आदि सब चीजों में हमें दबाकर रखा था। इसलिए यह जो लॉ आया है, इसमें लैंड से, जैसे पोरस बॉर्डर था, उससे घुसते थे, अभी तो कम से कम हम लोगों की सरकार आने के बाद बॉर्डर फेन्सिंग हुई। इसके लिए असम में 1979 से बहुत बड़ा एजीटेशन हुआ।

वर्ष 1985 में राजीव गांधी जी ने सख्ती की, लेकिन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोई व्यवस्था नहीं की। जब नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने, तो बहुत बार नार्थ-ईस्ट गए। बार्डर से या नदियों से जो माइग्रेशन होता था, उसने असम के असली लोगों की जनसंख्या को बिलकुल खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया था, लेकिन हमने बचा लिया। असम की जमीन, जंगल, वीजीआर, पीजीआर में इल्लीगल बांग्लादेशियों की वजह से जो हालात बने, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी राज्य सरकार ने भी इसके लिए स्ट्रांग व्यवस्था की। माइग्रेशन या इमिग्रेशन में जो लॉ की व्यवस्था है, यह बहुत अच्छी है और लीगल प्रोविजन से ही लोग भारत में प्रवेश पा सकते हैं। हमारे प्रधान मंत्री विदेश भी जाते हैं। उन्हें पता है कि भारतीयों की क्या मर्यादा होनी चाहिए और उनकी रक्षा करने के लिए वे पूरी तरह सक्षम हैं।

महोदय, प्रधान मंत्री जी विदेश जाते हैं और उन्हें मालूम है कि जब विदेशी लोग भारत आएं तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। जब कोई सही वीजा और पासपोर्ट से भारत आएगा, तो उसे भी वे सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो अन्य लोगों को मिलती है और सुरक्षा भी मिलेगी। बाहर से लोग पढ़ने के लिए आएंगे, कोई नर्सिंग करने के लिए आएगा, कोई किसी तरह का कोर्स करने आएगा। आप जानते हैं कि इंडिया का मेडिकल सिस्टम पूरी दुनिया में कम कीमत पर इलाज के लिए जाना जाता है। यदि कोई फेक पासपोर्ट से आता है, तो उसे ऐसे भगाना चाहिए कि वह सारी जिंदगी याद रखे कि इंडिया में ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सक्षम है। जैसा मुम्बई में आक्रमण हुआ। जब धारा-370 हटी और कश्मीर में जैसी व्यवस्था बनी है, उसे देखने से पता चलता है कि इल्लीगल माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। यह एक्ट देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप नार्थ-ईस्ट की हिस्ट्री देखिए। नार्थ-ईस्ट में असम के अंदर इल्लीगल माइग्रेंट्स आ गए और असमी भाषा की प्राब्लम हुई, त्रिपुरा, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश में प्राब्लम हुई। इल्लीगल माइग्रेंट्स मैक्सिमम रेप केसेज में, चोरी में, मर्डर, डकैती में इनवॉल्व रहते हैं। आप लोग आईएमडीटी एक्ट के बारे में जानते होंगे।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा : महोदय, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आईएमडीटी एक्ट को पढ़ो। उसके सिस्टम को समझो और देखो कि असम एजिटेशन करने वालों को कैसे मारा गया था। मैं कांग्रेसी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप असम हिस्ट्री पढ़ो कि कैसे वहां से लोग घुसपैठ करके पूरे भारत में फैल जाते थे। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यह व्यवस्था सबसे अच्छी है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसका समर्थन करें और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए और प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मनोज कुमार (सासाराम) : सभापति जी, आपने मुझे इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025 पर विचार करने और बोलने का अवसर दिया। यह विधेयक न केवल कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि यह सरकार की नाकामी छिपाने का एक प्रयास भी प्रतीत होता है।

16.24 hrs (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

महोदय, अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ने या पहचान करने में और आतंकी गतिविधियों को रोकने में विफल है। इस विधेयक को या तो संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए या फिर से इसे पूरी तरह से वापस लिया जाए। हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में जा रहा है लेकिन अफसोस इस बात पर हम भारतीयों को होता है कि हमारे लोग अमरीका जैसे देशों की जय-जयकार करते हैं और हमारे लोगों को हथकड़ी पहनाकर देश में वापस भेजा जाता है। हम एक तरफ बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे तो ऐसी बातें देखकर हमें बहुत अफसोस होता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं अपने मित्रों से ?अतिथि देवो भव:? की बात सुन रहा था, ? वसुधैव कुटुम्बकम? की बात सुन रहा था।

महोदय, हम जब इस प्रकार की बातें सुनते हैं और जब यह पता चलता है कि 11 सालों से ये बातें हो रही हैं कि देश में रह रहे रोहिंग्या को हटाना है, बांग्लादेशियों को भगाना है, नेपाल के जो रहते हैं, उनको भगाना है, अलग-अलग देश से जो भारत में उग्रवादी, आतंकवादी रहते हैं, उनको हटाना है तो यह अफसोस लगता है कि 11 सालों से यह

सरकार, हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी केवल बोलते हैं। अभी भी बहुत सारे उग्रवादी, आतंकवादी और इल्लीगल लोग हैं, जो भारत देश में रहते हैं और समय-समय पर वे आतंक को बढ़ाने का काम करते हैं। सरकार को किसने रोका है?

सभापति महोदय, अभी हमारे एक मित्र कांग्रेस का नाम लेकर हमारी पार्टी के बारे में बोल रहे थे। आपको किसने रोका है? आप 11 सालों से केवल बातें कर रहे हैं? आपने नियम-कानून क्यों नहीं बनाया? इन्हें हटाने से आपको किसने रोका है? आप केवल वोटों की राजनीति करते हैं। जब-जब इलेक्शन आता है, आप रोहिंग्या को लेकर चले आते हैं, बांग्लादेशियों की बात करते हैं। लेकिन, 11 सालों से आपने दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या लोगों को क्यों नहीं हटाया, यह प्रश्न उठता है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री मनोज कुमार : महोदय, मैं आपके माध्यम से ही कह रहा हूं कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से चार मौजूदा कानूनों - फॉरेनर्स एक्ट, 1946; पासपोर्ट एक्ट, 1920; रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, 1939; और इम्मीग्रेशन एक्ट, 2000 - को समाप्त करने का प्रस्ताव लेकर आई है। इन चारों कानूनों को समाप्त कर एक नया कानून लागू करने की योजना बनायी गयी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह विधेयक नागरिकों के मौलिक अधिकार को सीमित करने का प्रयास करता है। सबसे गम्भीर चिंता इस विधेयक के उस प्रावधान को लेकर है, जिसमें इम्मीग्रेशन अधिकारियों के निर्णय को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि नागरिकों के पास अपील या न्यायिक समीक्षा का कोई प्रभावी माध्यम नहीं रहेगा। यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि यह नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला भी करता है।

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने का है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं और आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं।

महोदय, आपको मालूम होगा कि हमारे भारत देश में बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं। एक तरफ हम केवल धर्म, जाति, सम्प्रदाय की बात करते हैं और हमारे यहां इतने ज्यादा बेरोजगार बच्चे हैं। हम किसान, गरीब लोग नमक-रोटी खाकर और मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो उसके बाद हमारे बच्चे अलग-अलग देशों में जाने का प्रयास करते हैं क्योंकि यहां हमारे पास रोजगार नहीं है।

महोदय, हम बिहार से आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में पासपोर्ट ऑफिस है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहां पासपोर्ट ऑफिस के आगे प्रतिदिन हजारों दलाल खड़े रहते हैं और हमारे यहां के पढ़ने वाले बच्चों, खास तौर पर, एस.सी., एस.टी. गरीब बच्चों के साथ दलाली करते हैं। वीज़ा के लिए हमारे यहां के बच्चे कभी दिल्ली में, कभी कोलकाता में तो कभी मुम्बई में भटकते रहते हैं। उनके साथ बहुत सारे दलाल धोखाधड़ी करते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए।

महोदय, अभी हमारे ही कंस्टीट्युन्सी का एक ड्राइवर था। वह दुबई में काम करता था। उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गयी। उसकी डेड बॉडी को भारत देश लाने में करीब 15 दिनों का समय लगा। इसमें सुधार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरी एक महत्वपूर्ण मांग है। असम में बहुत सारे बंगाली और अल्पसंख्यक, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के केस में फँसे हुए हैं। उनके बारे में सरकार क्या करेगी, यह जानकारी मुझे प्रदान की जाए।

महोदय, बॉर्डर पर हमारे बहुत सारे सैनिक रहते हैं। समय-समय पर हमने देखा है कि चीन या पाकिस्तान हमारी ही सीमा में घुस कर हमारे सैनिकों को मार देता है और हमेशा हम ?56 इंच का सीना? दिखाते रहते हैं और इसमें कुछ नहीं होता है।? (व्यवधान) इसमें सुधार होने की जरूरत है।? (व्यवधान)

श्री मलविंदर सिंह कंग (आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, आपने मुझे इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स बिल, 2025 पर अपनी बात रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।

सर, इनिशली जब पूरे बिल को स्टडी करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो सरकार का कंसर्न नेशनल सिक्योरिटी को ले कर है, उसके साथ हम डेफिनेटली एग्री करते हैं। लेकिन जो प्रभाव जा रहा है, वह बड़ा डिफरेंट है। कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है, कहीं न कहीं ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है और कहीं न कहीं जो धर्म के आधार पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, उसका फायदा लेने की राजनीति भी कहीं न कहीं इसमें दिखती है।

सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, मैं पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। हमारा तकरीबन हर हाउसहोल्ड ऑलमोस्ट विदेश में है और ज्यादातर बोनाफाइड सिटीज़न वहां के हैं। लेकिन जो उनकी अटैचमेंट है, जो उनका आना-जाना है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, ईवन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वे हर साल आते हैं और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है कि उनकी जो धार्मिक श्रद्धा है, वे हर साल श्री हरमंदिर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब आदि तमाम जगहों पर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये विधेयक पुलिस को इम्पॉवर कर रहा है और दूसरी डिफेंस फोर्सेस को कर रहा है तो कहीं न कहीं एक्सपलॉयटेशंस की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती हैं। मेरा यह कंसर्न

है । मुझे लगता है कि सरकार को इसको दूर करना चाहिए । क्योंकि हमारे यहां बहुत सारे लोग, जो बोनाफाइड सिटीज़न हैं, वे डिफ्रेंट कंट्रीज़ के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, टूरिज्म के लिए जाते हैं, जैसे पंजाब का मैंने बताया कि उनकी श्रद्धा है, वे आते हैं, लेकिन इस तरीके से हम पुलिस को इम्पॉवर कर देंगे और एक छोटे से छोटा ऑफिशियल्स उन पर कार्रवाई करेगा या इनवेस्टिगेट करेगा, तो उसमें एक्सप्लॉइटेशन की सभावनाएं बढ़ेंगी। यह बहुत सारे केसेज़ में सामने आया भी है। इसलिए इस पर पुन: विचार करने की जरूरत है।

सर, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब किसान आंदोलन चला, तो हमारे जो तमाम दुनिया भर में लोग बैठे हैं, उनकी कहीं न कहीं इमोशनल अटैचमेंट थी कि जो लोग, जो किसान सड़कों पर बैठ कर एक संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जमीन की, अपनी खेती की, अपनी जायदाद की, अपने लोगों की, उनकी कैसे सहायता की जाए और वे बड़े रिप्यूटिड लोग हैं। सरकार ने उसमें भी चॉइस के आधार पर कुछ लोगों को तो वापस ही कर दिया, बाद में कुछ लोगों को अलाऊ भी कर दिया। मुझे लगता है कि यह डिस्क्रिमिनेशन जो है, इसकी संभावनाएं भी इस कानून में बढ़ती हैं। इसलिए हमारी चिंता बड़ी वाज़िब है।

सर, तीसरी बात, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है, अभी पिछले दिनों का उदाहरण है, जब अमेरिका ने हमारे लोगों को डिपोर्ट किया, वे कोई क्रिमिनल नहीं थे। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कुछ लोग अपनी अच्छी जिंदगी की तलाश में वहां गए थे, बड़े इज्जतदार परिवारों के लोग थे। हमारे गुजरात के तो सबसे ज्यादा भाई उसमें थे। सबसे ज्यादा गुजरात के थे, हरियाणा के थे, पंजाब के भी थे, लेकिन जिस हद से, जिस तरीके से उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनको हथकड़ियां और बेड़िया बांध कर जहाज़ से लौटाया गया, उसने सारी दुनिया में हमारा मज़ाक उड़ाया है । आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि प्रधान मंत्री जी को उस इश्यू को टेकअप करना चाहिए था। ऐसा न हो कि जो तमाम फॉरनर्स हमारे मुल्क में आएं, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, देश को देखने के लिए, स्टडी के लिए आएं, उनको ह्यूमिलेट न किया जाए। उससे पूरी दुनिया में देश की छवि धूमिल होती है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजना चाहिए। इसमें तमाम स्टेकहोल्डर्स के साथ डिटेल में चर्चा करें।

धन्यवाद।

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सुधाकर सिंह जी के वक्तव्य से अपने को एसोसिएट करता हूँ। उसके अलावा यह बात रखता हूँ कि यह जो कॉकटेलचार चीज़ों का मिला कर के बनाया गया। यह इंप्रेशन देने की कोशिश की गई है कि ब्रिटिश राज के कानूनों को हमने बदलने की कोशिश की है, लेकिन क्या ऐसा है?

अभी जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, उसमें कुछ बातों की चर्चा यहां हुई हैं। हमारे भारतीयों को वापस भेजा गया। हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए ट्रंप नहीं आएं। वहां पर अडाणी साहब के मुकदमों पर स्टे लगाया गया। इसके साथ ही साथ बाद में यह घोषणा की गई कि भारत सरकार टैरिफ कम करे और यह धमकी की भाषा में की गई। हम कहना चाहते हैं कि क्या साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों की उस भावना को यह सरकार जिंदा रखना चाहती है? क्या आज यह सरकार उसका विरोध करना चाहती है? अगर उनके लिए हम मार्केट खोलेंगे तो हमारे किसान लॉस में जाएंगे, यह स्वाभाविक बात है। उनका कृषि उत्पाद सस्ते में ही जाएगा। वे पहले से ही घाटे की खेती कर रहे हैं। वे कर्जे में डूब कर आत्महत्या भी कर रहे हैं। क्या सरकार हमारे किसानों पर और ज्यादा बोझ लादना चाहती है? क्या वे करोड़ों लोगों को तबाह कर देना चाहते हैं? क्या वे हमारी खेती को तबाह कर देना चाहते हैं? क्या वर्तमान सरकार इसके खिलाफ खड़ी होगी?

महोदय, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढाका के मलमल के कारीगरों का हाथ कटवा दिया था, इसलिए कि वे मैनचेस्टर के कपड़ा मिलों का कपड़ा थोप देना चाहते थे। उसी के खिलाफ गांधी जी का खादी आंदोलन हुआ, नमक आंदोलन हुआ। उस समय ये सारी लड़ाइयाँ लड़ी गईं। क्या आज की सरकार उस भावना को जिंदा रखना चाहती है? ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए। सरकार लगातार अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने सरेंडर करते जा रही है।

महोदय, आज हम आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी दिशा भी साफ होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे? विकल्प के बतौर सीधी बात है कि हमें पड़ोसी देशों के साथ व्यापार तेज करना पड़ेगा। उनके आवागमन के रास्ते को और ज्यादा प्रशस्त करना पड़ेगा। हमें बिल में इस बात को देखना होगा। कोई धार्मिक बायसनेस से नहीं चलेगा, इस बिल में इसका प्रावधान होना चाहिए। अभी सत्ता पक्ष की तरफ से जिस प्रकार से माननीय सांसदगण बोल रहे हैं, उससे नहीं चलेगा। अगर आपको विकल्प के तौर पर उसके खिलाफ खड़ा होना है तो वैकल्पिक उपाय करना पड़ेगा। इसे चाहे आप अरब देशों से कीजिए, ईरान से कीजिए, लेकिन वैकल्पिक उपाय ढूंढने होंगे।

महोदय, अंत में, मैं यही कहूंगा कि आज यह ठेठ परसेप्शन से ही बिल लाने की बात नहीं है। हमारे देश का विकास और सुरक्षा, इन दोंनो को कंसीडर करना होगा। जब इससे संबंधित एक बैठक हुई थी तो मैंने उसमें पूछा भी था कि हाल के वर्षों में कितने विदेशी आए हैं और हमारे भारत के कितने लोग दूसरे देशों में गए हैं। इनका आंकड़ा क्या है? क्या हम बाहर से लोगों को यहां आने के लिए प्रमोट भी करते हैं, चाहे वे मजदूर हों, चाहे स्पेशियलिस्ट्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों? जब देश पर थ्रेट बढ़ता है तो हम उसको कर्व भी करते हैं। यह कोई फिक्स चीज नहीं है, इसलिए हमें इन

तमाम मामलों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूं कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी या जेपीसी में भेजना चाहिए।

SHRI TANGELLA UDAY SRINIVAS (KAKINADA): Sir, I rise today to express my wholehearted support for The Immigration and Foreigners Bill, 2025. This Bill replaces four outdated laws: the Passport (Entry into India) Act, 1920; the Registration of Foreigners Act, 1939; the Foreigners Act, 1946; and the Immigration (Carriers? Liability) Act, 2000. By consolidating and updating these laws, the Bill brings India?s immigration policy in line with contemporary global realities.

Sir, under the visionary leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India?s global standing has risen to remarkable heights. India has emerged as a beacon of cultural richness, spiritual wisdom, and economic opportunity, attracting people from across the world.

This Bill, introduced by our hon. Home Minister, Shri Amit Shah ji, seeks to strengthen the nation?s ability to manage this growing influx by ensuring that every foreign visitor processes valid travel documents. To understand this global appeal of India, one can look at the recently concluded Maha Kumbh Mela, the largest human gathering on the planet. Millions of people, including thousands of foreign devotees, scholars, and spiritual seekers, converged at this sacred confluence. They came from countries like Sweden, Australia, USA, Canada, and the UK, drawn by the timeless greatness of *Sanatana Dharma.*

Our party leader and Deputy Chief Minister, Pawan Kalyan garu, is an ardent follower of the *Sanatana Dharma*, which is increasingly being embraced by people of diverse nationalities and faiths. However, it is not only spiritual tourism that is drawing people to India. India is also rapidly becoming a preferred destination for medical tourism. With the sector currently valued at 7.69 billion dollars, it is projected to grow to 16.21 billion dollars by 2030. Recognising this,

Clause 10 of the Bill mandates that hospitals, nursing homes, and other medical institutions furnish information about foreign patients to their respective authorities.

While this provision enhances security and regulatory oversight, I would like to emphasize that collecting this data should not be a burden for legitimate visitors. It is imperative that the process remains smooth, non-intrusive, and respectful for individual privacy.

Sir, India is also witnessing a surge in the inflow of foreign students. Since 2011, the number of foreign students coming to India has increased by 340 per cent, with students arriving from more than 200 countries. To address this, clause 9 of the Bill mandates that universities and educational institutes furnish information about the foreign students enrolled in their programme. I would like to stress that this process should be seamless, ensuring that India continues to remain a top destination for international education while maintaining security protocols.

One of the most significant provisions of this Bill is in clause 5, which establishes a statutory body, the Bureau of Immigration. The Bureau will streamline and provide a statutory framework for the immigration process. One of the key initiatives in this regard is the Immigration, Visa and Foreigners Registration and Tracking (IVFRT) project. This project is being implemented by 108 immigration check posts, ICPs, and 700 plus Foreigners Registration Office (FROs) across the district headquarters in the country. This Bill will ensure the mission mode implementation of this initiative. India's immigration framework is more robust, efficient and secure.

Sir, another critical aspect of this Bill is Section 26, which grants Head Constables the power to arrest without a warrant. While this provision enhances security and empowers law enforcement, I urge that Head Constables, particularly, in tourist-heavy areas, be provided with adequate training with a simple emphasis on language skills and cultural sensitivity to ensure that no inconvenience is caused to genuine tourists and foreigners.

Sir, the Bill strikes a delicate balance between safeguarding national interest and upholding India's cherished tradition of *Atithi Devo Bhava*. It strengthens our ability to manage the growing inflow of foreign visitors while ensuring that India remains a welcoming and secure destination for all.

I fully stand in support of this legislation. Jai Hind!

SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO (MEDAK): Thank you hon. Chairperson, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Immigration and Foreigners Bill, 2025.

This Bill is a commitment towards modernisation of India?s outdated legal framework by the hon. Prime Minister of this country, Shri Narendra Modiji. While the Congress neglected such type of laws for decades, pre-Independence laws like the Foreigners Act 1946 and the Passport Act 1920 were left untouched for decades together, exposing Congress's complete disregard for the national security.

The infamous Illegal Migrants (Determination and Tribunals) Act, 1983, the IMDT Act, which was later struck down by the hon. Supreme Court after a gap of 20 years, shows how the Congress makes laws for the people of this country. It deliberately made deportation of illegal immigrants nearly impossible by shifting the burden of proof onto the State, leading to demographic imbalances in border States like Assam. In stark contrast to this, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and unwavering dedication of our hon. Home Minister Shri Amit Shahji, the Government has taken bold steps to consolidate and modernise these archaic laws into a single, robust framework.

Modiji's Government has prioritised national security and sovereignty in its immigration approach by implementing NRC and by strengthening the border infrastructure through this comprehensive Bill. Our Prime Minister Shri Narendra Modiji has demonstrated unwavering commitment of protecting India's demographic integrity for future generations.

This Bill signifies the culmination of a decade-long effort to strengthen India's borders and address the intentional undermining of immigration enforcement carried out by previous governments for political advantage.

Unlike the Congress, the BJP is determined to identify all illegal immigrants currently dwelling in our country, and that is why the BJP has brought the Immigration and Foreigners Bill, 2025, under the dynamic leadership of Shri Narendra Modiji. It will streamline the process of identification, and will ensure no indigenous person will be excluded from the NRC.

Furthermore, Modiji's Government is committed to accountability and transparency. While frontline immigration officers will take decisions based on national security, economic stability and demographic concerns, there will be internal review mechanisms to ensure the fairness.

In cases involving humanitarian considerations, the Government will ensure due process for the safeguards. The Opposition, which failed to modernise India's outdated immigration laws for decades, is now opposing this progressive Bill simply for their political gains.

The claim that the Immigration and Foreigners Bill, 2025 violates the principles of natural justice by not providing any appeal mechanism is legally flawed. Some of my colleagues have said that there is no appeal mechanism. But the previous laws, which were existing in this country, also show that immigration law is a sovereign function, and courts have reportedly upheld that immigration decisions are subject to reasonable restrictions, and do not require the same judicial safeguards like criminal and civil proceedings that generally take place in the courts. The Foreigners Act, 1946 already grants immigration authorities wide ranging powers, and courts have upheld these as unnecessary for the national security.

While this Bill expeditiously provides an appellate mechanism, Judicial Review under Article 26 and Article 32 of the Constitution ensures that individuals have the right to challenge the legality of administrative actions and protect their fundamental rights. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO: Sir, the Modi Government's approach to immigration reforms is rooted in addressing these real challenges. The Bill aims to protect India's sovereignty and address the concerns of States grappling with a demographic invasion. The issue extends not only in Assam or West Bengal, but the issue of Rohingyas has recently come to South India also. The most affected town in India recently with the Rohingyas is the Hyderabad. The name of Hyderabad is Bhagyanagar. Due to the presence of these Rohingyas, the name of our Bhagyanagar is going to be changed into some illegal activities. .... *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please conclude in 30 seconds.

SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO: This is not happening only in Hyderabad. But recently 20 Bangladeshis were arrested in January 2025 from a small municipal town called Sadashivpet in my Parliamentary constituency of Medak. Even in Kerala also, some Bangladeshis were arrested recently. *....(Interruptions)* It is reported in all newspapers of this country. *....(Interruptions)*

DR. NAMDEO KIRSAN (GADCHIROLI-CHIMUR): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. I am also thankful to my leader Shri Rahul Gandhi ji, Deputy Leader Shri Gaurav Gogoi ji, and Chief Whip Shri K. Suresh ji, for giving me this opportunity to speak on this Bill.

Sir, the Bill grants discretionary powers to the Central Government to issue orders, directions and instructions regarding stay, entry and movement of foreigners within the country.

This centralization of authority without clearly defined limits or explicit oversight mechanism raises the potential for misuse, arbitrary decision-making or discriminatory practices. अगर इतनी पॉवर्स सरकार को इस कानून की वजह से मिलेगी, ऑलरेडी यह सरकार बहुत पॉवरफुल है। इतनी पॉवरफुल होने के बाद फिर से अगर यह कानून बन गया और उसके हिसाब से पॉवर मिले तो इसके मिसयूज की

पॉसिबिलिटीज है । मैं एक एग्जाम्पल साइट करता हूं । अभी फरवरी, 2025 में क्षमा सावंत नाम से इंडियन-अमेरिकन्स हैं, जो इंडिया आना चाहती थी, उसको आने नहीं दिया गया, उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी गई । इसका कारण था कि वह मोदी गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करती थी, उसकी आलोचना करती थी । अगर गवर्नमेंट की आलोचना करने वालों को इस तरह से रोका जाएगा तो इस कानून का दुरुपयोग निश्चित रूप से होगा ।

मैं दूसरा एग्जाम्पल साइट करता हूं । ब्रिटिश अकैडमिशिएन्स निताशा कौल को कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्पीच देने के लिए इन्वाइट किया था । उनको भी रोका गया, उनकी भी एंट्री रोकी गई, वीजा नहीं दिया गया । इस तरह से क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वह आरएसएस की क्रिटिक्स थी । वह आरएसएस की आलोचना करती थी, इसलिए उनको एंट्री नहीं दी गई है । अगर पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए कानून का उपयोग किया जाएगा, तो यह कानून किसी काम का नहीं होगा । इससे भेदभावपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल होगा । जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तब वहां पर भेदभावपूर्ण कानून लागू था, इसलिए गांधी जी ने उसके खिलाफ आंदोलन किया था । हमारे देश में वैसी परिस्थति कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं ।

The Bill legitimises racial bias. नस्लीय पक्षपात का दुरुपयोग इसके पहले ही हुआ है । पुलिस ने अफ्रीकन नेशनल्स को डिटेन किया है । उन्होंने इसलिए डिटेन किया on baseless suspicion of drug peddling. उनको ड्रग्स पैडलिंग के शक के आधार पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया । ग्रेटर नोएडा में कुछ नाइजीरियन्स छात्रों पर अटैक किया गया है । विश्वविद्यालय ने उनको बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया, ताकि उनको वीजा ना मिल सके । अगर कानून बनने के पहले ही इतने प्रतिबंध हैं, कानून बनने के बाद जब सरकार को इतने अधिकार मिल जाएंगे, तब यह सरकार बेलगाम तरीके से कुछ भी कर सकती है ।

The Bill does not include specific provisions or provide clarity for refugees or asylum seekers. The stringent entry, registration, and movement regulations could create barriers for religious pilgrims, particularly from Pakistan and Bangladesh. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

? (*Interruptions*)

डॉ. नामदेव किरसान: महोदय, अभी घुसपैठियों के बारे में बात की गई है । जब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब वे कहते थे कि सरकार के हाथ में पूरी सत्ता है, सरकार के हाथ में सीमा सुरक्षा है, सरकार के पास फौज है, तब

घुसपैठिए कैसे हमारे देश में आ सकते हैं? आतंकवादी कैसे हमारे देश में आ सकते हैं? उनके कार्यकाल को 11 साल बीत गए हैं, हमने उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है, लेकिन अभी भी हमारे देश में घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं। घुसपैठियों पर चिंता व्यक्त की गई है। आप उनको यहां से निकाल सकते हैं। आप कभी-भी उनको हमारे देश से बाहर निकालने के लिए फ्री हैं। आप उन पर कार्रवाई कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Thank you, Sir. I rise to address the Immigration and Foreigners Bill, 2025 introduced in this august House on March 11, 2025.

While the objective of modernizing our immigration framework is commendable, the Bill, in its current form, presents several concerns that merit thorough deliberation.

Firstly, several Members pointed out about centralization of immigration authority. The Bill proposes the establishment of a centralized Bureau of Immigration, granting the Central Government overarching control over immigration functions including visa issuance, entry regulation, and the monitoring of foreign nationals within India. This centralization diminishes the role of State Governments, which possess nuanced understanding of regional dynamics and have historically managed local immigration issues effectively.

For instance, Kerala, with its extensive experience in handling both inbound and outbound migration, finds its capacity to address region-specific challenges curtailed under this framework. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please do not show your back to the Chair. Kindly be seated.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Yes, please go ahead.

? (*Interruptions*)

ADV. FRANCIS GEORGE: Sir, such an approach not only undermines the federal structure enshrined in our Constitution, but also risks overlooking the diverse realities across different States.

There are precedents of opposition to similar legislation. It is pertinent to recall that on December 31, 2019, the Kerala Legislative Assembly unanimously passed a resolution against the Citizenship (Amendment) Act, 2019, citing its potential to disrupt the secular fabric of our nation and violate the fundamental right to equality enshrined in our Constitution. This historical context underscores Kerala's consistent stance on immigration policies that may undermine the inclusive and secular principles that define our nation.

We must examine the impact on education and healthcare sectors also. Kerala has emerged as a prominent destination for international students and medical tourists significantly contributing to our State's economy and cultural diversity. The Bill mandates the educational and medical institutions to report the admission and treatment of foreign nationals to designated authorities.

While the intent may be to enhance security, these provisions impose additional bureaucratic burdens on institutions, potentially deterring poor foreign individuals from choosing Kerala as their destination for education and healthcare. This could lead to a decline in international collaborations and economic contributions vital to our State's prosperity.

Sir, how does this Bill affect civil liberties and human rights concerns? The particularly troubling aspect of the Bill is the empowerment of immigration officers to arrest individuals without a warrant if suspected of violating immigration laws. This provision raises significant concerns about potential misuse, arbitrary detentions, and infringements on individual freedoms.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude in 30 seconds.

ADV. FRANCIS GEORGE: The absence of a clear appeal mechanism further exacerbates the risk of violating the principles of natural justice, which are fundamental to our democratic ethos.

Sir, now, I want to talk about the economic Implications. Kerala's economy is intricately linked with its diaspora and the influx of foreign nationals. The Bill's stringent visa regulations and enhanced penalties for violations could disrupt this dynamic, leading to economic repercussions not only for Kerala but for the nation as a whole. Balancing security concerns with economic pragmatism is imperative to ensure that our policies do not inadvertently stifle economic growth and international engagement.

The hon. Member, Kanimozhi ji, highlighted the plight of our Sri Lankan Tamil brethren. They are our people. They went from here. Please do not shut out people who need genuine protection. Many of these laws are misused and the State?s discretion should not be arbitrary. There are rehabilitation camps for Sri Lankan brethren.

***m28 SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Sir, this is a Bill proposed to organize our immigration framework by consolidating four pre-Independence legislations with a single comprehensive framework governing the entry, exit, and stay of foreigners in our country.

Already, Manish Tewari ji has pointed out the apprehensions and concerns as to how this law can be misused by the authorities on the basis of the past experience. Sir, the first proviso to clause 3(1), -- I am not going to read the provision -- gives the Government absolute discretion to prohibit the entry of any foreign national, including Persons of Indian Origin based solely on the grounds of threat to national security, sovereignty and integrity of India, and relations with foreign state, public health, and ?such other grounds as the Central Government may specify in this behalf?. So, any other grounds, according to the whims and fancies of the Central Government, can be decided to deny entry or stay to a foreign national.

Sir, in the recent years, we have seen that the instances where the Government was involved, national security has been a pretext to target the political opponents and the critics.

And we have so many bitter experiences. Normally, the hon. Home Minister may say in his reply that this is a law which was made long ago, like the Immigration (Carriers? Liability) Act, was passed in the year 2000. But when we are making a law in 2025, it definitely has to be more reformed. We have to safeguard the principles of natural justice and we have to safeguard the civil rights and protect the democratic rights of the citizens and including the foreigners, whoever it may be.

Sir, recently, Kshama Sawant, who was denied Indian visa to visit her mother in Bengaluru wrote on Twitter: ?I am on the rejection list?. So, that shall never happen. That is my suggestion submission. Regarding clause 7 of the Bill, the Government may, by an order or direction or instruction, make provisions, either generally with respect to all foreigners, or with respect to a particular class of foreigners prohibiting, regulating and restricting the entry into India.

Sir, in this case, I would like to draw the attention of the hon. Home Minister. In the previous law, there was only order. Now, we have put two more words, ?direction? and ? instruction?. If it is an order, it has to be placed before Parliament. If it is an instruction or direction, that need not be placed before Parliament.

17.00 hrs

This provision is also giving arbitrary powers to the Government and selective exclusion of individuals or class of persons by prohibiting, regulating, restricting the entry into India. On political and ideological grounds, this is against the principles of equality and justice guaranteed by the Constitution. Then there is mandatory reporting obligation under clause 9 and clause 10. Universities, educational institutions, and hospitals are mandated to furnish the details of the foreigners to the registration officer. Imagine a professor or a medical researcher or a family is forced to submit the personal information to the Government simply for the reason

of being a foreigner is not good. It is against the principles of the right to privacy. It will not hold good only because he is a foreigner.

Sir, in clause 16, there is the burden of proof which has already been mentioned. I am not going to repeat it. The burden of proof is on the person who has to prove that he is not a foreigner. This is absolutely not fair.

In clause 26, the police officer, who was formerly a Sub-Inspector, has been made as a Head Constable who can arrest without warrant. That has to be renewed. The social and economic impact of this amendment is too much. So, that has to be considered because the economic prosperity as well as the tourism potential and the investment destination will be affected. So, this Bill has to be sent to a standing committee or a select committee for further scrutiny.

With these words, I conclude.

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष Immigration and Foreigners Bill, 2025 पर अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

यह विधेयक का उद्देश्य आव्रजन और विदेशियों से संबंधित विभिन्न सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें देश में उनका प्रवेश, निकास और प्रवास भी शामिल है।

महोदय जी, हमारा देश वर्ष 1947 में आजाद हुआ और हमारा प्रदेश दमण और दीव, गोवा के साथ वर्ष 1961 मे पुर्तगालियों की गुलामी से आजाद हुआ। भारत और पुर्तगाल की आंतरिक संधि के चलते हमारे प्रदेश के लोगों को वर्ष 1961 से पहले दमण और दीव, भारत में जन्मे लोगों को पुर्तगाली नागरिकता मिलती है, जिसके चलते हमारे प्रदेश के कई लोग इस सुविधा का लाभ उठाते हुए पुर्तगाली एवं ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर विदेशी बने हैं।

महोदय जी, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसे लोग है, माता-पिता, भाई-बहन सहित अपना परिवार, अपना प्रदेश और मातृभूमि छोड़कर जाना चाहते हैं? क्यों वे लोग सब कुछ छोड़कर विदेश जाने के लिए मजबूर हुए हैं? दुखद है, की आज भी लगातार लोग अपने परिवार के साथ अपनी मातृभूमि छोड़कर विदेश जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

महोदय जी, अगर हमारे प्रदेश में ही उनको अच्छा रोजगार मिलता, उन्हें यहां काम धंधे सुचारू रूप से चलाने दिए जाते, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलती और उनको यहां सुख सुविधाएं मिलतीं और उनके एवं उनके परिवार के भविष्य की सुरक्षा दिखती तो वह सब यह हमारा प्रदेश ओर हमारा देश छोड़कर कभी नहीं जाते। वह सब अगर देश छोड़कर गए हैं या अब भी जा रहे है, तो मजबूरी के कारण देश छोड़ रहे हैं। उनको लगता है कि यहां से विदेश में बेहतर विकल्प है, दुखद तो यह भी है कि अभी भी बड़े बड़े लोग, जो बड़े टैक्सपेयर्स हैं, वे भी देश छोड़कर जा रहे हैं ।

महोदय जी, हमारे प्रदेश के हाल के ? * के कारण तो अब हमारे प्रदेश के बचे-खुचे स्थानीय लोग भी प्रदेश छोड़कर विदेश भागना चाहते हैं।

महोदय जी, आज इस परिस्थिति का संज्ञान लेकर सुधार करने की जगह हमारा प्रशासन, नित नए प्रजा विरोधी कायदे कानून बिना किसी प्रजा एवं जनप्रतिनिधियो की मंजूरी के बनाकर हमारे प्रदेश के लोगों को हर प्रकार से बरबाद करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।

महोदय जी, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ की मजबूरी के कारण दमण दीव से पुर्तगाल और UK गए हुए लोगों को विदेशी न समझा जाये। वे मूल रूप से भारतीय ही हैं, लेकिन वे किसी कारणवश परदेसी हुए हैं तो उनको हमारे देश का नागरिक ही समझा जाए। भारत और नेपाल सरकारों के बीच एक संधि के कारण नेपाली नागरिकों को भारत में प्रवेश करने और काम करने के लिए वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी गई है। इसी प्रकार से हमारे यहां से विदेश गए लोगों को यही सुविधा दी जाए और उनको भी काम करने और रहने की सुविधा दी जाए।

DR. RABINDRA NARAYAN BEHERA (JAJPUR): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the `Immigration and Foreigners Bill, 2025.

I am very thankful to the hon. Prime Minister of India and the hon. Home Minister for bringing this new Bill, giving away the old and ancient Bill of the colonial era.

The Bill is a comprehensive legislation to regulate all matters relating to foreigners and immigration, excluding citizenship issues. The matters relating to foreigners and immigration are presently admitted through four Acts; the Passport (Entry into India) Act, 1920, the Registration of Foreigners Act, 1939, the Foreigners Act, 1946, and the Immigration (Carriers'

Liability) Act, 2000. These Bills have been regulated, and this new Bill is a consolidation of laws on matters of foreigners.

The purpose of this Bill is that the earlier Bills are old and outdated. The new Bill covers various provisions of the four Acts after simplification and harmonization of new features of provisions for the present day requirement. The Bill is in line with the Government of India's policy of simplification of laws and Ease of Doing business and minimizing compliance burdens.

Sir, the present situation is that illegal immigration is a global issue. It is not a local issue, it is a global issue that affects our economy, social cohesion and national security. The most important thing is our national security. Presently, deepfake and cyber security are a big challenge.

In addition, parallelly, immigration is a big challenge for security and integrity of Bharat. Countries worldwide, including India, face increasing pressure from underprivileged migrants in different areas.

According to the Ministry of Home Affairs, there are a total of 98,40,321 foreigners visiting India between 1st April, 2023 and 31st March, 2024. ? (*Interruptions*) This Bill has key features relating to immigration, namely functions of the immigration officers, mandatory requirement, empowering the immigration officer to examine documents ? (*Interruptions*)

Sir, I belong to Odisha. The East Coast area is around 480 kilometres long. So, there is a lot of immigration happening. Though there is a question about Nepal border, Myanmar border and Bangladesh border, but our sea coast is very dangerous. Lots of Bangladeshi and other migrants are coming through boat for fishing and other business purposes. Carpenters are coming. ? (*Interruptions*)

This Bill is very much essential for the national security of Bharat. I support this Bill.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपका, अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का और अपने संसदीय क्षेत्र, सलेमपुर की जनता का मैं बहुत आभारी हूं।

??मुल्क उन्नति करे तो सम्मान सबका है।

गिरे जो मुल्क का गौरव तो अपमान सबका है।।??

जिस दिन अमेरिका से हमारे देश का नौजवान चंडीगढ़ में बेड़ियों के बीच आया, तो सबका गौरव गिरा है। जब जाड़े का महीना आता है, तो दुनिया के बर्फीले इलाकों के अप्रवासी पक्षी मैदानी इलाकों के तालाबों में आ जाते हैं। कुछ लोग उन पक्षियों से आनन्द लेते हैं और कुछ लोग उन्हें मारकर खा जाते हैं।

मान्यवर, यह जो विधेयक सरकार ने लाया है, निश्चित तौर पर इसमें अच्छी व्यवस्था हो। वैध अप्रवासी के लिए इंतजाम की कोई जरूरत नहीं, वह तो वैध है, जहां चाहे वहां रहेगा, अवैध अप्रवासी देश में नहीं आने चाहिए, यह अच्छी बात है। हमारे पूर्वांचल के नौजवान के पास एक ही चारा है कि गल्फ कंट्रीज में जाकर पैसा कमाया जाए। अपना घर बनवाया, बेटी की शादी की और गाड़ी खरीदी, लेकिन एक ऐसा रैकेट तैयार हो गया कि वीजा के नाम पर फर्जी वीजा का खेल चला। उस वजह से कई लोग दुनिया के मुल्कों में बंद हैं। उनको जिस रेट पर इजराइल भेजा गया, उसके बारे में आप पता कर लीजिएगा। वहां पर उनको वह रेट नहीं मिल रहा है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बिल आया है तो मेरी कुछ शंकाएं हैं। मेरा मत है कि यह विधेयक वर्तमान स्वरूप में अत्यधिक केंद्रीकृत, कठोर और कई संवैधानिक और मानवीय पहलुओं को अनदेखा करता है।

सभापति महोदय, क्या यह विधेयक संघीय ढांचे की भावना के विपरीत नहीं है? ? (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सभापति महोदय, यह जो बिल है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता का है। अप्रवासी भारतीयों के अधिकारों के लिए यह बिल लाया गया है। हमारा देश हमेशा सार्वभौमिकता के आधार पर हमारे संविधान का विश्व कल्याण और मानव कल्याण का जो भाव है, वह ?वसुधैव कुटुम्बकम? और ?सर्वधर्म समभाव? के साथ जीवंतता के लिए जाना जाता है इसीलिए हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं।

चूँकि अब गृह मंत्री जी आ गए हैं। उन्हें जवाब देना है। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एनआरआई का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत ने 125 बिलियन, 10.4 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड का रेमिटेंस प्राप्त किया, जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक था, लेकिन क्या हमारी सरकार एनआरआई के हितों की रक्षा करने में आज तक सफल रही है? अगर सरकार ने सही तरीके से इसका समाधान नहीं किया तो इसमें नीतिगत सुधार लाने की जरूरत रहेगी। एनआरआई टैक्स नीति में सुधार लाने की जरूरत है। इस विषय में मेरा आग्रह है कि वर्ष 2020 के बजट में सरकार ने एनआरआई पर टैक्स की नई शर्तें लागू कर दीं, जिससे उनकी टैक्स देनदारी बढ़ गई। यदि कोई एनआरआई 240 दिनों से कम भारत में रहता है तो उसे कर मुक्त माना जाता था, लेकिन इसे घटाकर 120 दिन कर दिया गया। कई देशों में टैक्स नियमों के कारण भारतीयों पर दोहरे कराधान का बोझ पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि एनआरआई की टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाए और दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए मजबूत द्विपक्षीय संधियां की जाए। 120 दिन की सीमा वापस 240 दिन की की जाए, जिससे एनआरआई को राहत मिल सके। विशेष निवेश छूट योजना लाई जाए, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिले।

इसके अलावा भारत में 3 करोड़ से अधिक एनआरआई हैं, लेकिन वे चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अभी एनआरआई को वोट डालने के लिए भारत आना पड़ता है, जिससे 99 प्रतिशत एनआरआई वोट नहीं डाल पाते हैं। वर्ष 2018 में लोक सभा में ?प्रॉक्सी वोटिंग? का बिल पास हुआ था, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया। एनआरआई के लिए डिजिटल और पोस्टल वोटिंग की सुविधा लागू की जाए। एनआरआई के लिए भारत में बैंक खाता खोलना अब भी बेहद जटिल प्रक्रिया है। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल और एनआरओ खातों पर ब्याज दरें बहुत कम है। ? (व्यवधान)

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज इस आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025 को लाने का काम किया है, जिसमें हमारी सुरक्षा, सम्प्रभुता और सशक्त भविष्य सुनिश्चित होगा। यह केवल एक कानून का मसौदा नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की भलाई से जुड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। यह अपने देश को सुरक्षित, समृद्ध और संगठित बनाने का एक संकल्प है। यह एक वचन है कि हम भारत को उस स्थिति में नहीं पहुँचने देंगे, जहाँ हमारी सीमाएँ असुरक्षित हों। हमारी सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों से जुड़ी हुई हैं। हमारी जमीनी सीमाएं 15,106 किलोमीटर लंबी और 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं से अवैध घुसपैठ और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां, ऐसे बहुत सारे विषय इस

बिल को लाने के लिए मजबूर करते हैं। गृह मंत्रालय की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विदेशी नागरिकों की संख्या 20 लाख से अधिक थी, जो कि अवैध रूप से आए थे और अधिकांश पड़ोसी देशों से थे। अकेले असम में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या 10 लाख से अधिक थी। जिससे स्थानीय जनसंख्या संतुलन और संसाधनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2020 से वर्ष 2024 के बीच भारत में अवैध घुसपैठ की घटनाओं में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और इसलिए भारत में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विशेषकर पश्चिम बंगाल में नौकरी, व्यापार और संपत्ति खरीदने के मामलों में वृद्धि हुई है और हमारी आन्तरिक सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो गया है। इसलिए अब समय आ गया है कि चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जर्मनी हो, ऐसे अनेक देश, इन्होंने जिनको विकसित देश कहा है, कड़े कानून बनाए हैं और इस प्रकार के कानून बनाए हैं तो हम क्यों पीछे रहें? हम क्यों लापरवाह बने? हम उन शहीद जवानों के बलिदान को व्यर्थ क्यों जाने दें, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है? हम अपने नागरिकों के रोजगार, संसाधन और अधिकारों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं।

मैं गृहमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस बिल को लाकर अवैध अप्रवास पर पूर्ण रोक लगाई है, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की स्थापना की है, वीजा और पासपोर्ट प्रणाली को सख्त बनाया है, स्थानीय नागरिकों को अधिकार और सुरक्षा देने का काम किया है। इसलिए मैं उनको इस रूप में भी धन्यवाद देता हूं कि हमने तो हमेशा स्वागत किया है। हमने दलाई लामा को भी शरण दी है। हमने पारसियों को भी शरण दी है, लेकिन अच्छे भाव के साथ "आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः" यह हमारी कहावत चली है, लेकिन जब भी दुष्टों के विनाश की बारी आई है तो

"यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्।।"

इसलिए वर्ष 1930 का जो पासपोर्ट एक्ट था, वर्ष 1939 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था, और वर्ष 1946 को जो फॉरनर एक्ट था, वर्ष 2000 को जो इमिग्रेशन एक्ट था, इन चारों कानूनों को बदलते हुए और एक ऐसा कानून जिससे मेरा देश अब आगे सुरक्षित रहेगा। हमारे गृह मंत्री जी ने कठोर कानून लाया है। इसके लिए में गृहमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसमें सजा का प्रावधान है। यदि घुसपैठ की गई है।

?अब तो घर में घुसकर मारा है,

और कब्र तुम्हारी खोदी है,

दिल्ली की गद्दी पर बैठे नेता हमारे मोदी हैं।?

इसलिए घुसपैठ करने वालों को पांच साल की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना होगा, नकली दस्तावेज वालों को दो सालों से लेकर सात सालों तक की सजा, एक लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, वीजा से अधिक रुकने पर तीन साल की सजा और तीन लाख तक का जुर्माना होगा। चाहे विश्वविद्यालय हों, होटल्स हों या अस्पताल हों इसमें संस्थानों की जवाबदेही माननीय गृह मंत्री जी ने तय की है। इसलिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद कहता हूं कि 31 मार्च, 2000 और 1 अप्रैल, 2023 से के बीच 98.40 लाख विदेशी भारत आए। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। मैं इस भाव के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं क्योंकि मैं भारी मन से इस बात को कहता हूं कि जिन मांओं के बच्चे सीमाओं की रक्षा में लगे हैं, मैं सोचता हूं कि उन घुसपैठियों के कारण उनको जो दिक्कतें आई हैं, इस बिल के माध्यम से उनको दूर करना बहुत आवश्यक है।

17.18 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : ये बहुत दिनों से बिल पर बोलने के लिए इंतजार कर रहे थे।

श्री दर्शन सिंह चौधरी : मैं अध्यक्ष महोदय जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक सुरक्षित और सशक्त एवं समृद्ध भारत बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मैं गृहमंत्री जी का बारंबार धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, विपक्षियों से भी यही अपील करता हूं कि यह देश हित में है। दिनकर जी कह कर गए हैं :

?समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध,

जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी इतिहास और उनका भी अपराध।?

इसलिए अपने-आप को अपराध से मुक्त होने के लिए इस विधेयक का समर्थन करिए।

मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, गंगा मैया की जय, भगवान बलराम की जय।

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त मौका मिला है। आज लिस्ट में कोई नाम बाकी नहीं बचा है। सभी को पर्याप्त मौका मिला है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किनको मौका नहीं मिला?

माननीय गृह मंत्री जी।

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, देश की सुरक्षा, देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए, मुनाफा और व्यापार की दृष्टि से देश की शिक्षा प्रणाली को पूरी दुनिया में स्वीकृति देने के लिए, हमारी यूनिवर्सिटियों को वैश्विक बनाने का रास्ता प्रशस्त करने के लिए, इस देश में R&D के लिए एक मजबूत नींव डालने के लिए और इस देश को दुनिया में वर्ष 2047 में सर्वोच्च बनाने के लिए यह बिल बहुत जरूरी है।

महोदय, इस बिल को ठीक तरह से पढ़कर सबने अपनी-अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार अपना मत व्यक्त किया है। मनीश जी से लेकर कुल 29 सदस्यों ने अपने विचार इस बिल के बारे में रखे हैं। इस बिल को लाने का मुख्य मुद्दा है कि इमीग्रेशन एक प्रकार से आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं और कई प्रकार के मुद्दे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ते हैं। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि के लिए आता है और किस उद्देश्य से आता है, इसे जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यह कोई नया विचार नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि कई सालों से जो अधिकार अलग-अलग कानूनों में बिखरे-बिखरे पड़े थे, हमने एकत्रित कर कर यहां लाने का प्रयास किया है। इस विधेयक के पास होने के बाद भारत में आने वाले हर विदेशी नागरिक का संपूर्ण, व्यवस्थित, एकीकृत और अप-टू- डेट लेखाजोखा रखने का काम देश में होगा और मैं यह आश्वान सदन को देना चाहता हूं।

महोदय, हम इसके माध्यम से देश का विकास भी सुनिश्चित कर पाएंगे। जो लोग हमारे देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं या R&D के लिए आते हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। देश की सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे, उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी और निगरानी भी होगी। दोनों दृष्टियों से यह बिल एक प्रकार से हमारे सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति करने वाला बिल है। यह आज की बात नहीं है, पुरातन काल से हमारे उपनिषदों में ?वसुधैव कुटुम्बकम? का नारा दिया है। पूरे विश्व में जब लोग कच्चा मांस खाते थे और वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं था, ऐसी अवस्था में दुनिया की कई सभ्यताएं जीती थीं तब हमारे मनीषियों ने उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम का कन्सेप्ट लिखा।

महोदय, कई बार लोग सवाल उठाते हैं, ज्यादातर सामने के बेंच पर बैठे लोग कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के हम सिग्नेटरी क्यों नहीं हैं? मैं आज इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन को भारत में सिग्नेटरी होने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड प्रवासियों के बारे में 5000 सालों से स्पॉटलेस रहा है इसलिए कोई पृथक शरणार्थी नीति की आवश्यकता नहीं थी। हमारी कई परंपराओं में, कई कानूनों में और कई

प्रावधानों में इसका जिक्र किया गया है। इस नीति की जरूरत उनको पड़ती है, एक प्रकार से भौगोलिक सीमा से जिन देशों की रचना हुई है। हम तो जियो-कल्चर देश हैं। भू-सांस्कृतिक देश है। हम जियो-पोलिटिकल देश नहीं है। हमारी सीमाएं हमारी संस्कृति ने बनाई हैं और कई देशों तक इसको विस्तृत करने का काम हमारे पुरखों ने किया है। भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्शिया से आक्रान्ताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रह रहे हैं। दुनिया की सबसे माइक्रो माइनोरिटी अगर विश्व में किसी देश में सम्मान के साथ रहती है तो मेरे भारत में रहती है। अगर इजरायल से भी यहूदी भागे तो भारत में आकर रहे। अभी मोदी जी के कालखंड में भी आस-पास के देशों से 6 प्रताड़ित समुदायों के नागरिकों को भी CAA लागू करके शरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है।

भारत ने सदा ही मानवता के प्रति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है। इसमें हमें कभी कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी यही परंपरा है, संस्कृति है, इन्होंने ही हमें वसुधैव कुटुम्बकम् का मंत्र भी सिखाया, संस्कार भी दिया। दुनिया भर में, सभी देशों में भारत से बाहर गए हुए प्रवासी और भारत में आए हुए प्रवासियों का दुनिया को समृद्ध करने में कंट्रीब्यूशन का जो रिकॉर्ड है, शायद ही कोई देश का हो।

मान्यवर, ह्वेनसांग आए। हर्षवर्धन के शासन काल में आए। बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का अभ्यास करके उसे चीन तक ले गए। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो आए। व्यापार और संस्कृति का अध्ययन करके पूरे यूरोप को समृद्ध करने का काम किया। 14वीं शताब्दी में इब्नबतूता आये। दिल्ली के न्यायाधीश बने। निकोलो डे कोंटी आये, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में विजय नगर साम्राज्य का अध्ययन किया और विजय नगर साम्राज्य की भव्यता को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया। 15वीं शताब्दी में अब्दुर रज्जाक आये। उन्होंने कालीकट की भव्यता और समृद्धि का वर्णन किया। अथानासियस आये। उन्होंने 15वीं शताब्दी में हमारी सामाजिक प्रथाओं की उच्चता को दुनिया में प्रस्थापित किया। दुआर्ते बारबोसा आये। उन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारतीय समाज की जाति व्यवस्था का आकलन करके, समाज को वह कैसे ताकत देती है, इसके बारे में पूरी दुनिया को परिचय कराया। 17वीं शताब्दी में फ्रांस्वा बर्नियर आये, जिन्होंने मुगल साम्राज्य का वर्णन करके पूरी दुनिया में यह संदेश दिया। इसी प्रकार से भारत से गये हुए प्रवासियों ने भी दुनिया भर को समृद्ध करने का काम किया है। बुद्धघोष यहां से चीन गए और पाली ग्रंथों का अनुवाद किया। थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बोधिधर्म ने भिक्षु मार्शल आर्ट का पूरे चीन में प्रसार किया। शाओलिन कुंग फू का मूल व्यक्ति हमारे तमिलनाडु का बोधिधर्म है।

मान्यवर, महात्मा गांधी प्रवासी बनकर ही अफ्रीका में गए। वे पूरे देश का संदेश लेकर गए। दुनिया भर में कहा जाता था कि जिस साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उस साम्राज्य को अफ्रीका की धरती पर घुटने टिकाने का काम महात्मा गांधी ने किया। लाला हरदयाल गये। उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। वीएस नायपॉल गये, उन्होंने नोबल पुरस्कार जीता। डॉ. द्वारकानाथ कोटनीस गये। उन्होंने चीन के युद्ध के दौरान चिकित्सा के लिए महान काम किया। हमारे यहां से सुन्दर पिचाई, सत्य नडेला, ऋषि सुनक, कमला हैरिस, डॉ. हरगोविंद खुराना, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, जुबिन मेहता आदि ढेर सारे लोगों ने प्रवासी के रूप में जाकर वहीं की संस्कृति में रच-बस कर दुनिया के अनेक फील्ड के अंदर भारत की समृद्ध विरासत को पहुंचाने का काम किया। आज दुनिया भर के देशों में बौद्ध धर्म है, तो भारत से गये हुए प्रवासियों के कारण ही है। सम्राट अशोक के पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा जब श्रीलंका गये, तो वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसीलिए आज श्रीलंका के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं।

मान्यवर, हमारा डायस्पोरा 146 देशों में फैला हुआ है। अगर कोई विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा है, तो वह भारत का है। दादा कहते थे कि जो देश समृद्ध होता है, उसकी ओर दुनिया भर से लोग आते हैं, गरीबी की ओर से समृद्धि की ओर आते हैं। दादा, ये सारे लोग जब यहाँ से गये, तब भारत पूरे विश्व की जीडीपी पर 60 प्रतिशत का कब्जा रखता था, यहाँ से तब गये थे।

प्रवासियों के भ्रमण का देशों की आर्थिक मजबूती के साथ लेना-देना नहीं है। वे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पूरे विश्व की संस्कृति को, पूरे विश्व की शिक्षा को, पूरे विश्व के विज्ञान को, इसलिए वे गये हैं। आज हमारे देश के लगभग 1 करोड़ 72 लाख NRIs हैं। इतना बड़ा डायस्पोरा और किसी देश का नहीं है। उन सबके सुचारू रूप से आने-जाने और उनकी सारी चिन्ताओं के निराकरण के लिए मैं आज यह बिल लेकर आया हूँ।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि विश्व छोटा हो गया है। इन 10 वर्षों में, हमारा अर्थतंत्र 11वें नम्बर से 5वें नम्बर पर पहुँचा है। पूरी दुनिया की अर्थतंत्रों की सूची में भारत एक ?ब्राइट स्पॉट? बनकर उभरा है। भारत मैन्यूफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। इस वक्त, विश्व भर के लोगों का हमारे यहाँ आना बहुत ही स्वाभाविक है।

हमारी इमिग्रेशन का स्केल और साइज़ दोनों ही बहुत बढ़ा है। इसके साथ-साथ, शरण लेने की जगह के रूप में अपने निहित स्वार्थ को पूरा करने वाले और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ी है। अगर इन दोनों को संतुलित करना है, जो यहाँ सुचारू रूप से, अपने देश के कानून के हिसाब से, भारत की व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए और R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए

आते हैं, तो उन सभी का स्वागत है। मगर मैं उतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि चाहे रोहिंग्या हों या बंगलादेशी हों, अगर यहाँ अशांति फैलाने के लिए आते हैं, तो बड़ी कठोरता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। इसलिए इस नीति में उदारता के साथ-साथ कठोरता की भी आवश्यकता है। हृदय में करुणा, संवेदना और देश के खतरों के प्रति सजगता दोनों को एक साथ रखकर यह नीति बनायी गयी है। इसलिए आज मैं आपके सामने इस दृढ़ प्रवासन नीति को लेकर उपस्थित हुआ हूँ।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि नरेन्द्र मोदी जी के दो बड़े संकल्प हैं, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, केवल एनडीए के नहीं, बल्कि वे देश की 130 करोड़ जनता के संकल्प बने हैं। पहला संकल्प है- वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। दूसरा संकल्प है- वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना।

मान्यवर, मैं मानता हूँ कि दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरल, सुदृढ़ और समसामयिक कानून की व्यवस्था अनिवार्य है। इसीलिए इन दस सालों में, ढेर सारे ऐतिहासिक कानून इस सदन में आए। तीन नये आपराधिक कानूनों को इस सदन ने पारित किया, सीएए के कानून को पारित किया। हमने 39 हजार कम्प्लाएंसेज को खत्म करके ?ईज़ ऑफ डूइंग? बिज़नेस की वृद्धि के कानून को पारित किया। आईबीसी कोड, 2016 और बैंक मर्ज़र के माध्यम से, एनपीए को समाप्त किया। वर्ष 2017 में, इतने बड़े देश के 32 बिक्री करों को समाहित करके एक जीएसटी को रोलआउट करने में हमारी सरकार को सफलता मिली। यूएपीए कानून और एनआईए एक्ट में संशोधन किया।

मान्यवर, जो हमारे संविधान निर्माताओं का स्वप्न था, इस देश में ?एक विधान, एक निशान और एक प्रधान? हो, धारा 370 को भी इसी सदन ने निरस्त करने का काम किया। ? (व्यवधान) इन दस सालों के अंदर हर क्षेत्र के हर कानून को हमने मजबूत करने का काम किया है। आज मैं जब यहां आया हूं, जब इस बिल को लेकर आया हूं, इस बिल से हमारे देश को तीसरे नंबर का अर्थ तंत्र बनाने का स्वप्न भी पूरा होने वाला है। नई शिक्षा नीति में हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने का स्वप्न भी इससे पूरा होने वाला है। अनुसंधान के क्षेत्र में R&D करने वाले सारे लोगों को यहां उदार मन के साथ, विश्वसनीयता के साथ काम करने का भी एक अच्छा माहौल मिलने वाला है।

इस देश को विश्व भर में खेलों का एक उत्कृष्ट केन्द्र बनाने का स्वप्न भी पूरा होने वाला है। यहां पर मीडिएशन और आर्बिटट्रेशन का अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र भी बनने वाला है। इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ढेर सारे क्षेत्रों में यहां अनुसंधान की शुरुआत होगी। इसके लिए यह बिल एक प्रकार से बहुत अच्छा माहौल पूरा करेगा।

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी चार अधिनियमों में यह पूरी व्यवस्था छुटपुट-छुटपुट बंटी हुई है। चार अधिनियमों में कई सारी व्यवस्थाओं की ओवरलैपिंग भी है और चार अधिनियम होने के बावजूद भी कई सारे छिद्र रह चुके हैं। यह एक ही विधेयक, इन चारों अधिनियमों को निरस्त करके एक कानून आएगा, जो सारे छिद्रों को भरने का काम भी करेगा और जो रिपीटिशन है, उसको भी समाप्त कर देगा। ? (व्यवधान) हमारा जो लक्ष्य है, वर्ष 2047 तक ?विकसित भारत? बनाने का जो लक्ष्य है, दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनने का लक्ष्य, उस लक्ष्य की पूर्ति में यह आगे जाएगा। ? (व्यवधान)

मान्यवर, वर्ष 2047 के हमारे लक्ष्य के अंदर एक सशक्त आप्रवासन नीति का बहुत बड़ा महत्व है। यह जो विधेयक है, ?आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025?, यह हमारी प्रणाली को सिंप्लिफाई करेगा, स्ट्रीमलाइन भी करेगा, सिस्टेमेटिक बनाएगा और सुरक्षित, मतलब सिक्योर भी करेगा। इसके साथ-साथ यह ट्रांसपेरेंट भी बनेगा, टेक-ड्रिवन भी बनेगा, टाइम-बाउंड भी बनेगा और विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी भी बनेगा। इन सारे तत्वों पर तीन साल के गहन विचार के बाद गृह मंत्रालय में इस विधेयक को डिज़ाइन किया गया है। ? (व्यवधान) इसका फौरी तौर से, राजीनति कारणों से विरोध नहीं करना चाहिए। ? (व्यवधान)

मान्यवर, इसमें भारत में आने वाले यात्रियों का डेटाबेस तो ऑटोमैटिकली बन ही जाएगा, भारत के टूरिज़्म पोटेंशियल और टूरिज़्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। अनेक तरह के टूरिज़्म, जैसे मेडिकल टूरिज़्म, ईको टूरिज़्म, हैरिटेज टूरिज़्म, बिजनेस टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी सैक्टर और भारत की ग्लोबल ब्राडिंग बढ़ाने में यह बिल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसका मुझे विश्वास है। निवेश और रोजगार के क्षेत्र में भी इससे बहुत फायदा होगा, GDP को बढ़ाने में भी बहुत फायदा होगा।

मान्यवर, आजादी के 75 सालों के बाद आज भारत की सॉफ्ट पावर ने पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम किया है। ? (व्यवधान) वह गति और भी तेज होगी। ? (व्यवधान) जब मैं सॉफ्ट पावर की बात करता हूं, तब हमारा योग, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारा आयुर्वेद और हमारी ऑर्गेनिक खेती के सिस्टम को आज पूरी दुनिया आशा की नजरों के साथ देख रही है। रोगों का दमन करने की जगह रोग न हो, ऐसा मानव शरीर बनाना, हमारा बहुत पुराना विचार था, जो आज पूरी दुनिया को आकर्षक लगता है कि रोग होने के बाद उसका दमन करने की जगह रोग को आने ही न दें, इस प्रकार की जीवन पद्धति का विकास करेगा।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से विदेशों से ड्रग कार्टल, घुसपैठियों का कार्टल और हथियारों का और एक प्रकार से देश के अर्थ तंत्र को खोखला करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, इन सभी को इसके अंदर हम समाप्त करने की भी

व्यवस्था एक प्रकार से करेंगे।

मान्यवर, जब मैं यह विधेयक लेकर आया हूँ तब मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूँ कि जिन चार विधेयकों को यह रिप्लेस करेगा, उसके पासपोर्ट एक्ट में यात्रा दस्तावेजों की, पासपोर्ट और वीजा की जो आवश्यकता है, इसको पुख्ता करेगा। विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, उसको भी और पुख्ता करेगा। विदेशी अधिनियम 1946, अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को प्रतिबंधित करने का केन्द्र में रखकर इस कानून के अंदर बदलाव किया गया है। कुछ विशेष रोजगार के क्षेत्र में या विशेष गतिविधियों में भारत को भागीदार बनाने की दृष्टि से जो आते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की है। कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही भी हमने इसके अंदर समाहित की है और अप्रवास अधिनियम 2000, इसमें विदेशियों को लाने में वाहकों की जिम्मेदारी बिल को भी, हमने इसमें थोड़ा परिवर्तन करके पुनर्स्थापन किया है।

मान्यवर, ये तीनों बिल, 1920, 1939 और 1946, ये देश आजाद होने के पहले ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बने थे। आज हमारी पूरी आप्रवासन नीति नये भारत की नयी पार्लियामेंट के अंदर बनने जा रही है। यह एक ऐतिहासिक बात है। हमारे देश की इतनी महत्वपूर्ण नीति, जो देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, व्यापार भी सुनिश्चत करती है, विकास भी सुनिश्चित करती है, वह विदेश की पार्लियामेंट में बनी थी और विदेश के सांसदों ने इस पर हमारे भले की चिंता की थी। आज कम से कम 29 सांसदों ने इस पर अपने कमेंट्स दिए हैं, उनमें से एक भी विदेशी नहीं है और पार्लियामेंट भी हमारी है। यह हमारे लिए गौरव की बात है।

मान्यवर, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की आपाधापी में यह बनाया गया था और अंग्रेज सरकार के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। यह एक विकसित भारत की दौड़ शुरू होने के बाद अमृतकाल के प्रथम चरण में बनाया गया है और भारत के हितों के लिए इसको बनाया गया है। इन चारों नियमों में अंतर्निहित निरंता और उद्देश्यों की समानता के साथ ढेर सारे ओवरलैपिंग थे, इनको हमने कम किया है। एजेंसियों के बीच में समन्वय की कमी को भी समाप्त किया है। डेटा प्रबन्धन और सत्यापन, दोनों की जटिलता को भी हमने समाप्त कर दिया है। दस्तावेजीकरण की दोहरी प्रक्रिया को भी हमने समाप्त कर दिया है। कानूनों के बीच में जो विरोधाभाषी प्रावधान थे, जो एक कानून में ठीक थे, दूसरे कानून में ठीक नहीं थे, उन्हें समाप्त करके अधिकारों के क्षेत्र की स्पष्टता भी हमने कर दी है। यात्रियों और अधिकारियों के लीगल कंफ्यूजन को एक साथ, एक ही बिल चारों कानूनों के लीगल कंफ्यूजन को समाप्त कर देगा। एक ही अपराध के कई दंड कई जगह पर अलग-अलग कानून में थे, इसको भी स्ट्रीमलाइन करके एक ही कानून में लाया गया है।

मान्यवर, यह व्यापक कानून अनुपालन के बोझ को भी बहुत हल्का करेगा। मैं इस बिल के मुख्य प्रावधानों पर बात करना चाहता हूँ। भारत में प्रवेश, ठहरने और बाहर जाने के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों की अनिवार्यता की आवश्यकता हमने यहाँ पर ठीक कर दी है। आप्रवासन ब्यूरो का गठन हुआ है। भारत में प्रवेश और ठहरने की अनिवार्यता, आवश्यकता का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां भी इस कानून के अंदर हमने दी हैं। भारत से किसी विदेशी को हटाने की भी शक्तियां दी हैं। आवास, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि के नियामकों द्वारा, अगर कोई विदेशी वहां पढ़ता है, अस्पताल में दाखिल होता है तो इसकी सूचना ऑनलाइन ही देनी है। जब आप केस बना रहे हो, तो ऑनलाइन सूचना देने में क्या आपत्ति है? कोई कहां रह रहा है, इसका ट्रैक तो रहना चाहिए। विदेशियों को भारत में लाने वाले वाहकों की बाध्यता को भी यहां स्पष्ट कर दिया गया है और उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। कुछ अपराधों को कम्पाउंडिंग करके सरल भी बनाया गया है। एक प्रकार से आज के समय के अनुकूल प्रावधान बनाने का खुले मन के साथ यहां काम किया गया है।

मान्यवर, जो प्रावधान हटाए गए, विशेषकर ?राष्ट्र मंडल देशों? की जगह ?निर्दिष्ट देश? रखा है। किसी भी देश के नागरिक के रूप में इसको निर्दिष्ट किया जा सकता है, यह धारा-33 में लेकर आए हैं। पासपोर्ट अधिनियम 1920 में एक से अधिक बार उल्लंघन पर दोहरी सजा थी। अब इसे हमने बदला है और विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए बढ़े हुए वित्तीय दंड और कम्पाउंडिंग का प्रावधान भी हमने किया है। आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक में मौजूदा कानूनों का एकीकरण और सरलीकरण किया है और उसे बहुत स्टडी के बाद समेकित, संक्षिप्त, सरल और ठोस बनाने का काम किया है। चार कानूनों में कुल मिलाकर 45 धाराएं थीं, अब विधेयक में 36 धाराएं रहेंगी, जिनमें से 26 पुरानी धाराएं हैं और 10 नई धाराएं हैं। इन 36 धाराओं के अंदर ही हमारा प्रवासन का पूरा लेखा-जोखा दिया जाएगा।

मान्यवर, मैं जब सदस्यों के जवाब दूंगा, तब बहुत सारी धाराओं के बारे में बताया जाएगा। मैं इसमें विशेष नहीं कहना चाहता हूं लेकिन कुछ जरूर बताना चाहता हूं। धारा-3 में प्रवेश निषेध का प्रावधान है, कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, तो उसे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह देश धर्मशाला नहीं है कि जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर, अपने देश और हमारे देश को समृद्ध करने के लिए यदि कोई आता है तो उसका स्वागत है, लेकिन सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है। इसके साथ अब तक जो काली सूची एजेंसियां बनाती थीं, इसकी कानूनी वैधता कुछ नहीं थी। अब इस ब्लैक लिस्ट को वैधानिक समर्थन देने का काम यहां हुआ है। धारा-4 में केंद्र सरकार भारत में प्रवेश के निर्दिष्ट बिंदुओं या बंदरगाहों को

अधिसूचित करती है। किसी भी विदेशी नागरिक को भारत में आना है तो वह तय करना ही पड़ेगा। हम इसे नोटीफाई करेंगे। इतनी बड़ी, लम्बी समुद्री और भू-सीमा के अंदर कोई कहीं से भी आ जाएगा, तो उसे रोकने का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रोकने की जरूरत ही नहीं है, मगर देश ऐसे नहीं चल सकता है। देश की सुरक्षा को खतरा है, देश के अर्थ तंत्र को नुकसान करने वालों से भी देश को खतरा है और ड्रग्स और हथियार लेकर आने वालों को भी रोकना पड़ेगा। निर्दिष्ट किए गए बिंदुओं के बंदरगाह और विमानगाहों के अलावा कहीं से भी अगर कोई आएगा, तो उसे, चाहे भूमि सीमा हो, दरियाई सीमा हो या वायु सीमा हो, यदि कोई अधिसूचना के बिना आएगा तो वह गैरकानूनी माना जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की व्याख्या धारा-5 में की गई है। धारा-6 में विदेशियों के पंजीकरण की बात की गई है। धारा-9 में विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों की जिम्मेदारी धारा-9 और 10 में तय की गई है। धारा-11 में संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र के निषिद्ध स्थानों का दौरा भी रोका गया है। अभी कोई सदस्य कह रहे थे कि ?उसे क्यों रोकना चाहिए।? हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान हैं। वे दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते हैं। हमारी सेना के इंस्टालेशन्स हैं, वे दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते हैं और यह आज की ही बात नहीं है, जब आप सरकार में थे, तब का है। मगर वह गैर कानूनी तरीके से होता था, अब हमने उसे कानूनी बनाया है क्योंकि हमारे में उसे रोकने की हिम्मत है।

मान्यवर, धारा-18 में जुर्माने का भुगतान करने के लिए वाहक का दायित्व तय किया गया है। धारा-25 में अपराधों का कम्पाउंडिंग किया गया है और धारा-23 और 24 में इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माना और जेल की व्यवस्था इसके अंदर की गई है।

मान्यवर, धारा 30 में नियम बनाने की शक्ति भारत सरकार को दी गयी है। धारा 15 में ?राष्ट्रीयता का निर्धारण? शीर्षक हटाने का काम हमने किया है। धारा 7 में हमने बायोमेट्रिक्स जानकारी लेने को कानूनी बनाया है और एक प्रकार से पूरी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से एक कानून में बांधने का काम किया है।

मान्यवर, वीज़ा की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। हम जो यह सुधार लेकर आए हैं, वह कोई नया नहीं है। वर्ष 2010 में 5 देशों के नागरिकों को पर्यटन वीज़ा ऑनलाइन देने की शुरुआत हुई। वर्ष 2010 से 2014 के बीच में इसमें 7 देशों को बढ़ाया गया। अब हमने यह सुविधा 169 देशों को दे दी है कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप टूरिज्म बढ़ाइए। मगर, रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा न कि वे विदेश से इस देश में इतने समय के लिए आए हैं। कोई यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, इस देश का नागरिक नहीं बन सकता है। इसको रोकना पड़ेगा। आपके समय में सिर्फ 10 देशों तक यह सुविधा थी, उसको हमने 169 देशों तक पहुंचाने का काम किया है।

मान्यवर, 31 नामित अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और 6 प्रमुख बन्दरगाहों पर हमने ई-वीज़ा देने का काम किया है। वर्ष 2023 में हमने ?आयुष वीज़ा? की नई श्रेणी भी शुरू की है। अब ई-वीज़ा की सुविधा 9 उप श्रेणियों के लिए की जाएगी । ई-पर्यटन वीज़ा, ई-व्यापार वीज़ा, ई-चिकित्सा वीज़ा, ई-चिकित्सा परिचारक वीज़ा, ई-आयुष वीज़ा, ई-परिचारक वीज़ा, ई-छात्र वीज़ा, और ई-छात्र आश्रित वीज़ा - इन सारी श्रेणियों में ई-वीज़ा का प्रोविजन करके हमने विदेशियों को यहां आने में सरलता की है।

मान्यवर, जो लोग कहना चाहते हैं कि हम रोकना चाहते हैं तो हम उन्हीं को रोकना चाहते हैं, जिनके उद्देश्य ठीक नहीं हैं। ये कहते हैं कि इसे कौन तय करेगा, तो जो सरकार होगी, वह तय करेगी। हमारी सरकार है तो हम तय करेंगे। ?कौन तय करेगा? का क्या मतलब है? भारत सरकार तय करेगी। कौन तय कर सकता है? क्या इसे कोई विदेश की सरकार तय करेगी? आपका क्या विचार है? इसे कौन तय करेगा? भारत सरकार तय करेगी। चूंकि हम भारत सरकार में हैं, तो हम तय करेंगे।

मान्यवर, आयुष वीज़ा की श्रेणियों की भी संख्या बढ़ायी है। अवैध प्रवासियों और ओवरस्टे की निगरानी के लिए अप्रवास वीज़ा और विदेशी पंजीकरण की ट्रैकिंग का एक सिस्टम ? आई.वी.एफ.आर.टी. - को भी अब कानूनी आधार देने का काम किया है।

मान्यवर, सभी आप्रवासन पोस्ट्स पर भारतीय मिशन, एफ.आर.आर.ओ. और एफ.आर.ओ. को एण्ड-टू-एण्ड एकीकृत सिस्टम से जोड़ने का हमने पूरा कर दिया है। देश भर के 750 से ज्यादा जिलों में जिला पुलिस मॉड्यूल (डी.पी.एम.) भी हमने शुरू कर दिया है, जो फॉरेनर्स आईडैंटिफिकेशन पोर्टल के नाम से जाना जाता है। हम कई प्रकार की आप्रवासन चौकियों के आधुनिकीकरण के लिए भी योजना लाए हैं। अब उसकी संख्या बढ़ कर 114 हो गयी है। एक ज़माने में इसमें चार से पाँच मिनट का समय लगता था, वहीं अब डेढ़ से दो मिनट का समय लगता है। ?फास्ट ट्रैक आप्रवासन - विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम? (एफ.टी.आई. - टी.टी.पी.) को 8 प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू किया है। अगर आप घर से फॉर्म भर कर आते हैं तो इसमें बस 30 सेकण्ड्स का समय लगता है।

इन्होंने कहा कि इससे प्रवासियों की संख्या कम होगी। वर्ष 2014 में आप्रवासन चौकियां 83 थीं, अब ये 114 हैं। हमने इसे 37 प्रतिशत बढ़ाया है। पहले आई.सी.पी. काउंटर्स 743 थे, आज ये 2278 हैं। ये 206 प्रतिशत बढ़े हैं। कांग्रेस के शासन काल में वर्ष 2014 में भारत में आने वाले व्यक्ति 2 करोड़ 49 लाख थे और इन दस सालों में, वर्ष 2024 के अन्त तक 4 करोड़ लोग भारत में आए हैं। भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति उस समय 2 करोड़ 59 लाख थे और अब 4 करोड़ 11 लाख लोग बाहर गए हैं। अगर इनका टोटल करें तो 5 करोड़ 8 लाख आवाजाही थी और अब

यह 8 करोड़ 12 लाख की है। इसमें 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह किसी भी एक दशक में सबसे बड़ी वृद्धि है। सबसे बड़ी ही नहीं, अगर सभी दशकों का हिसाब-किताब करते हैं तो बहुत बड़ी वृद्धि, 59 पर्सेंट से ज्यादा की वृद्धि एक ही दशक में हुई है और ये हमें कह रहे हैं कि इससे कम होगा। मान्यवर, हम कम करना नहीं चाहते हैं, मगर जिनके उद्देश्य ठीक नहीं हैं, उनको तो जरूर रोकना पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ यह जुड़ा हुआ है।

मान्यवर, मनीश तिवारी जी ने प्रश्न उठाया कि धारा 3(1) का दूसरा प्रावधान आप्रवासन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील तंत्र प्रदान करने में विफल रहता है। मान्यवर, पहले से ही हमारे कानूनों में विदेशी नागरिकों को प्रवेश से वंचित रखने का अधिकार अधिकारियों के पास ही था। वीज़ा धारक को देश में किसी एक निश्चित बिंदु तक जाने देने का अधिकार भी अधिकारियों के पास ही था। किसी विदेशी को प्रवेश से वंचित करने का अधिकार भी, मनमानी करेगा, उनका डर है, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसको रोकने से पहले कई प्रकार की एजेंसियों की इनपुट के आधार पर ही रोका जा सकता है। पहले ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। वर्ष 2014 तक नहीं थी। हमने वर्ष 2014 के बाद आ कर वर्ष 2019 में एक प्रथा बनाई है कि किसी को भी रोकना है तो यह 24 बिंदु का 360 डिग्री जाँच कर के ही रोका जा सकता है। उसको हमने इतने खुले अधिकार नहीं दिए हैं।

मान्यवर, एक सदस्य ने कह दिया कि कांस्टेबल स्तर का अधिकारी यह निर्णय करेगा। मैं सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि इस देश में फांसी की सजा वाले क्रिमिनल कानून का इनवेस्टिगेशन भी एक हेड कांस्टेबल ही करता है, मगर एक नियम के तहत करता है। उस पर सुपरवाइज़री अथॉरिटी है, उसके ऊपर कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। मान्यवर, तब तो फिर हम सबको भी क्या अधिकार प्राप्त है? संविधान बना, संविधान ने संसद सदस्य की व्याख्या की, हम चुनाव लड़े, जीत कर आए, कोई मंत्री बना, कोई विपक्ष का नेता बना। मान्यवर, हम भी तो एक नागरिक हैं। इस प्रकार से सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं? यह व्यवस्था कानून के तहत है। किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, ये अपील की बात करते हैं, न अमेरिका में है, न इंग्लैंड में है, न जर्मनी में है, न फ्रांस में है, कहीं पर अपील का अधिकार नहीं है। कैसी अपील? कोर्ट में जाइए? देश की सुरक्षा का जहां सवाल होता है और सारी एजेंसियों के परामर्श के बाद अगर किसी को रोकते हो और इसमें आपत्ति है तो कोर्ट ही एकमात्र शरण होता है, इसकी कोई अपील हो नहीं सकती है। मैं मानता हूँ कि इसमें संविधान प्रदत्त अधिकारों का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं होता है।

मान्यवर, इन्होंने कहा कि डैमेज पासपोर्ट का विवरण नहीं है। मनीश जी, आप इतने बड़े लॉयर हो, यह विवरण रूल्स में बनता है, क्योंकि डैमेज पासपोर्ट की व्याख्या अलग-अलग घटनाओं के कारण निरंतर बदलती रहती है। एक

प्रकार से पहले जैसे पानी में डूब कर पासपोर्ट खराब हो गया, ये सारी घटनाएं जैसे ही होती हैं, तो रूल्स बदले जा सकते हैं, एक्ट नहीं बदला जाता है। इसलिए हमने सैक्शन 30 में रूल्स बनाने के अधिकार दिए हैं। क्लॉज़ 33 कुछ विदेशियों पर लागू होता है, कुछ विदेशियों पर लागू नहीं होता है। जो भारत के भले के लिए आता है, उस पर लागू नहीं होगा और जिनसे भारत की सुरक्षा को खतरा है, उन पर लागू होगा, यह बड़ी सरल बात है। इसमें क्यों आश्चर्य होता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

मान्यवर, सुधाकर सिंह जी ने भी इसी प्रकार के कुछ मुद्दे उठाए, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों पर बड़ा बोझ आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई बोझ नहीं आएगा। आज कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, जिसको ऑनलाइन इनफॉर्मेशन देने में तकलीफ हो। बिल भी ऑनलाइन बनता है, फीस भी ऑनलाइन स्वीकार की जा सकती है, तो क्या एक रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं भेज सकते हैं कि मेरे विद्यालय में इतने विदेशी लोग पढ़ाते हैं, इतने विदेशी लोग पढ़ते हैं। क्या आपत्ति है क्यों छुपाना है? यह जानकारी लेने का अधिकार भारत सरकार का है और यह तो देनी ही चाहिए।

मान्यवर, इसके साथ श्री सुखदेव भगत ने बंगाल की बात कही कि बीएसएफ घुसपैठियों को रोकने के लिए अक्षम है। मान्यवर, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है।

18.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

श्री अमित शाह : मान्यवर, आज कई बार अलग-अलग भाषणों और जलसों में यह विषय उठाया जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता देश को बताना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़ कर नहीं जाएंगे और ध्यान से सुनेंगे।

मान्यवर, बांग्लादेश से सटी हुई हमारी सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाड़ बन चुका है। बाड़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियाँ भी बन चुकी हैं। शेष फेंसिंग की लंबाई 563 किलोमीटर है। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है। शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है, उसमें 112 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है,

जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारिक नहीं है। वहां नाले हैं, नदियाँ हैं, ऊंची-नीची पहाड़ियाँ हैं, जहां इन 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकती है। 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग हो सकती है, वहां बाकी है। अब मैं बताना चाहता हूं कि यह क्यों बाकी है। इस 450 किलोमीटर के लिए मैंने डीओ लेटर लिख कर 10 रिमाइंडर्स किया है, लेकिन बंगाल सरकार भूमि नहीं देती है।

मान्यवर, इस 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव के साथ सात मीटिंग्स की हैं, लेकिन वे भूमि नहीं देते हैं। जहां हम फेंसिंग लगाने जाते हैं, वहां सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारा लगाता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यदि 450 किलोमीटर की फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की घुसपैठियों के प्रति दया दृष्टि के कारण रुकी हुई है। शायद इस भाषण को सुन कर ममता जी इस 450 किलोमीटर के लिए भूमि दे भी दें तो हम काम खत्म कर देंगे। फिर भी 112 किलोमीटर की खुली सीमा रहती है।

मान्यवर, जब आप 2000 किलोमीटर बाड़ बना देते हैं और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हैं तो कई बार 2000 किलोमीटर का भी कोई मायने नहीं है, क्योंकि आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह चाहिए? 112 किलोमीटर में जो नदी हैं, नाले हैं, कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं। ये लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। इन्होंने अभी भी सवाल उठाया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपकी नाक के नीचे आ गए।

मान्यवर, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या रोहिंग्याज़ हों, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी। अब बंगाल से आते हैं, वहां टीएमसी की सरकार है। वे घुस कर आते हैं। दादा, इनको आधार कार्ड कौन देता है? वे कहां के नागरिक बने हैं? जितने भी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, उनका 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है। आप आधार कार्ड इश्यू करते हैं। वे आधार कार्ड लेकर, वोटर कार्ड लेकर दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू मत कीजिए, आदमी क्या परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दादा, ये सब चीजें भी लंबे समय तक नहीं चलने वाली हैं। वर्ष 2026 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और यह सब बंद हो जाएगा।

मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली चुनाव के समय मैं मौन रहा, क्योंकि देश की सुरक्षा का प्रश्न है। हमें तू-तू, मैं-मैं नहीं करना चाहिए। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, इन्होंने सवाल उठाया है। आज मैं इसके लिए बिल भी लेकर आया हूं। इसलिए, मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। यह 450 किलोमीटर की सीमा आपकी कृपा से खुली रह गई है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और उसके बाद वे देश भर में फैलते हैं।

मान्यवर, एक सदस्य ने मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 85वां नंबर है। मान्यवर, ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है। एक निजी एनजीओ ने सर्वे करके दिया है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इंडी एलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वे एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ पढ़ते हैं, कई बार छपा बगैर संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि इनको क्या हुआ है?

कनीमोझी जी ने कहा कि इतने सारे तमिल शरणार्थी आए हैं, उनके लिए भारत सरकार की नीति क्या है? यह बहुत अच्छा बोला। मान्यवर, मेरा भी उन शरणार्थियों के लिए दिल उतना ही दु:खता है, जितना कनीमोझी जी का। उन्होंने कहा कि आपकी नीति क्या है? मैं नीति बताता हूं। वर्ष 1986 से जो भारत सरकार की नीति है और जब आप 10 साल यूपीए सरकार में थे, तब जो आपकी नीति थी, वही हमारी नीति है। ये तो वर्ष 1974 से आए हुए हैं। 10 साल तक दयानिधि जी मंत्री थे, बालू जी भी मंत्री थे, कुछ नहीं किया और हमसे सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया? अगर आपने कर दिया होता तो हमारी बारी ही नहीं आती। तमिल शरणार्थियों की नीति में हमने फुल स्टॉप, कॉमा का भी बदलाव नहीं किया है। जिस सरकार में डीएमके हिस्सेदार थी, उसी नीति को हमने जस

का तस अपनाने का काम किया है। अगर कुछ बदलाव करना है, तो मुझे दे दीजिए। हम सोचेंगे। ? (व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): You do something. ? (*Interruptions*)

श्री अमित शाह : मान्यवर, मुझे अब तक डीएमके के ये सारे एमपी चार बार अलग-अलग समस्याओं पर मिले, लेकिन एक में भी तमिल शरणार्थियों का जिक्र नहीं है और कहते हैं कि ?Do something, do something?. ? (व्यवधान) आप तो कहते नहीं हैं। हम तो आपकी नीति पर चल रहे हैं। हम मान रहे थे कि यह अच्छी होगी। अभी भी आप दीजिए, हम इस पर सोचेंगे।?(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): If we were wrong, you can correct it even now. ? (*Interruptions*)

श्री अमित शाह : आपने रॉंग किया है, यह एक्सेप्ट करते हैं न। ? (व्यवधान) आपने रॉंग किया, वह स्वीकार कर लिया, चलो अच्छी बात है।

मान्यवर, सीएए का जिक्र आया। मैं इसमें कोई राजनीतिक टिप्पणियां करना नहीं चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आजादी के वक्त जब आनन-फानन में देश का विभाजन किया गया और दोनों ओर भयंकर खून-खराबा हुआ, हजारों बौद्ध, हिंदू, सिख लोग ट्रेन की ट्रेन भरकर काट दिए गए, तब हमारे देश के नेता गांधी जी, नेहरू जी,

सरदार पटेल सबने अपील की थी कि वहां रह जाइए। अभी स्थिति ठीक नहीं है, बाद में भारत में आपका स्वागत है, आओगे तो आप भारत के ही माने जाओगे। वे लोग वहां से अपने धर्म को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, परिवार की महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए भारत में आए। उनके आने की व्यवस्था नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। कांग्रेस की सरकारें बना करती थीं। कांग्रेस वादा भूल गई। वे घुसपैठ करके आए, सो-कॉल्ड घुसपैठ, लेकिन मैं इसको घुसपैठ नहीं मानता। ये रियल शरणार्थी हैं। जो अपना धर्म बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए यहां आए हैं, वे शरणार्थी हैं और इसलिए हम सीएए लेकर आए हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन कोई भी व्यक्ति आए, उसका भारत में स्वागत है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, मगर जो घुसपैठ करने के लिए आते हैं, उनको हम जरूर रोकेंगे। नागरिकता उनको ही प्रदान होगी, जिन पर अत्याचार हुए, जो विभाजन की विभीषिका को झेले हैं, जिनके परिवारों पर अत्याचार हुआ, उन्हीं को हम नागरिकता देंगे।

इस विधेयक में चार कानूनों को समाप्त कर इसे रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। ये चारों कानूनों में जितनी भी लूपहोल्स थीं, उनको उसे भरने का भी काम किया है, ओवरलैपिंग को हटाने का काम किया है। आज के समय में भारत के अर्थतंत्र, भारत की शिक्षा, भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत के अनुसंधान और भारत के लीगल सिस्टम सभी को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी चाहिए। दुनिया को भी हमें सहयोग करना है, दोनों चीजों को देखना है। परंतु सबसे पहले देश की सुरक्षा की चिंता कर इस विधेयक को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसको पारित करें।

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को कमेटी में क्यों नहीं भेजा? सरकार की तरफ से यह बिल आया है।

माननीय अध्यक्ष: गृह मंत्री जी आप बताएं कि इस विधेयक पर कितनी लंबी चर्चा हुई है। आप इनको एक बार बता दें। ये पूछ रहे हैं कि आपने इस पर कितनी चर्चा की।

श्री अमित शाह : मान्यवर, इस विधेयक को तीन महीने पहले इसीलिए रखा गया था, अगर इस पर किसी का कोई सुझाव हो तो मुझे भेज सकता है।

आपने भी बड़े विशाल हृदय से जितने सदस्यों को बोलने का मौका देना था, सभी को मौका दिया। सभी ने अपना-अपना पक्ष रखा, मैंने इसका जवाब भी दिया है। इसके पहले भी व्यापक तरीके से कनसल्टेशन किया है। मैं नहीं मानता कि इसके लिए समिति की जरूरत है। यहां पर्याप्त चर्चा हुई है और इसे पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: इस विधेयक पर दो साल तक चर्चा हुई है।

प्रश्न यह है:

?कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीजा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

CLAUSE 2 Definitions

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving amendments No. 1 and 2. These are harmless and positive amendments. Along with the rules, regulations may also be included and authorised by him in writing. These are the two amendments.

I beg to move:

?Page 2, line 18, -

after ?or rules?

insert ?or regulations?.? (1)

?Page 2, line 27, -

for ?authorised by him?

substitute ?duly authorized by him in writing as prescribed?.? (2)

***m43माननीय अध्यक्ष**: अब मैं एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 10, 11 और 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I move amendment Nos. 10, 11 and 12. I totally protest against the allegation made by the Home Minister.

I beg to move:

?Page 2, line 4, -

after ?person or entity?

insert ?or an agent?.? (10)

?Page 2, *for* line 17, -

substitute ?*(iv)* movement within and exit from India, under the provisions of this Act or rules or regulations or orders or directions made there under,?.? (11)

?Page 2, *for* line 26,-

for ?means the persons?

substitute ?means the host or person?.? (12)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10, 11 और 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

?कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 3 Requirement of passport or other travel document and visa

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I move amendment No. 13.

I beg to move:

?Page 3, *for* lines 16 to 21, -

substitute ?*3. (1)* No person proceeding from any place outside India shall enter, or attempt to enter, India by air, water or land unless he or she is in possession of a valid passport or other approved travel document, except such as for members of the Indian Naval, Military, or Air Forces entering India on duty, and members of their families accompanying them, and for persons domiciled in India entering by land or air over the frontier of Nepal or Bhutan and in case of a foreigner, also a valid visa, and any foreigner while present in India shall also be required to possess valid passport or other approved valid travel document and valid visa, unless exempted under section 33 or through intergovernmental agreements conforming to the conditions prescribed in the Passport (Entry into India) Rules, 1950:?. ? (13)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

?कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

CLAUSE 10 Obligation of hospital, nursing home or any other medical institution

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दम दम) : महोदय, क्या वोटिंग के दौरान राज्य सभा के सदस्य भी वोट दे सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष : जब वोटिंग होगी, तब देखेंगे।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। जब कभी भी मतदान होता है, तब इस सदन में राज्य सभा के सदस्य वोट नहीं करते हैं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : महोदय, अभी भी वे वोट न करें।?(व्यवधन)

माननीय अध्यक्ष : वे अभी भी वोट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वोट कर रहा है, तो मैं उनको मना कर दूंगा।

? (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

?Page 5, line 43,-

after ?nursing home?

insert ?or wellness center, massage center, ayurvedic therapy centre?.?

(14)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

CLAUSE 14 Power to control places frequented by foreigners.

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I would like to draw the attention of the hon. Home Minister. In certain Sections of the original Act, it was mentioned that ?reasonable opportunity be given?. Now, the term ?reasonable? is being taken away. So, I would like to urge upon the hon. Home Minister to review the position as to why the term ?reasonable? is being taken away.

I beg to move:

?Page 6, line 40,-

after ?during specified periods?

insert ?after giving a reasonable opportunity of being heard?.?

(3)

?Page 6, line 49,-

for ?may think fit to impose?

substitute ?may prescribe.?.? (4)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 14 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 और 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 15 Foreigner who is national of more then one foreign country.

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, this amendment is just to simplify the provision.

I beg to move:

?Page 7, *for* lines 9 to 12.

substitute ?India.?.? (5)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 15 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

CLAUSE 16 Burden of proof.

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

?Page 7, lines 17 and 18,-

for ?notwithstanding anything contained in the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, lie upon such person.?? (6)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 16 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 और 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।

CLAUSE 19 Liability of carriers for passangers brought into India.

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

?Page 8, line 50,-

for ?two lakh rupees, but may extend to five lakh rupees

substitute ?five lakh rupees, but may extend to seven lakh rupees?.? (7)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 19 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए।

CLAUSE 26 Power to Arrest.

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the hon. Home Minister has replied that the Head Constable may arrest without warrant, while in the original provision the ?Sub-Inspector? was there. I have made some observations on that.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गृह मंत्री जी ने क्लियर कट बता दिया था कि देश नियम से चलता है, संविधान से चलता है। नियम और संविधान से सबको शक्ति मिलती है।

? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

?Page 11, line 1,-

for ?Head Constable? ?

substitute ?Inspector of Police?.? (8)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 26 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि खंड 26 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : महोदय, इनको और 10 मिनट दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : बेनीवाल जी, वे मेहनत करते हैं।

? (व्यवधान)

CLAUSE 27 Power to give effect to orders, directions and like.

***m53 माननीय अध्यक्ष :** श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

?Page 11, line 15,-

for ?Head Constable? ?

substitute ?Inspector of Police?.? (9)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 27 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

?कि खंड 27 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 से 36 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अमित शाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।